BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 433 OF 2022

IN THE MATTER OF: -

PATESHWARI PRASAD SINGH ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**RESPONSE ON BEHALF OF PRINCIPAL SECRETARY, URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 10.07.2024 AND 06.08.2024**	3-16
2.	**ANNEXURE-1** A true copy of the Letter dated 14.08.2024 Issued by Joint secretary, Urban development department.	17-18
2.	**ANNEXURE 2:** A True copy of the minutes of meeting dated 13.08.2024	19-22
3.	**ANNEXURE -3** A true copy of the letter dated 12.08.2024 issued by the Joint Secretary, Urban Development, State of UP	23-32

4.	**ANNEXURE -:4** A true copy of the site visit report	33-67

Place- **Lucknow**

Date- 28-08-2024

Filed By; -

(AMRIT ABHIJAT)

PRINCIPAL SECRETARY

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. No. 433 OF 2022

IN THE MATTER OF: -

PATESHWARI PRASAD SINGH **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UP & ORS. **...RESPONDENTS**

RESPONSE ON BEHALF OF PRINCIPAL SECRETARY, URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 06.08.2024 –

1. That the present O.A. pertains to the damage cause to the river Suav flowing in the District- Balarampur due to encroachment and discharge of sewage.

2. That on 06.08.2024 the Hon'ble Tribunal passed the following order which is reproduced as below-

   "....1. Shri Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development is present and stated that he may be granted 15 days' time to take effective steps in the matter.

   2. As prayed, list on 29.08.2024."

3. It is most respectfully submitted that the undersigned has the highest respect and regard to the order passed by this Hon'ble Tribunal and bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and direction passed by this Hon'ble Tribunal.

4. It is most respectfully submitted that the principal secretary, Urban Development, Department appeared before this hon'ble tribunal on previous date of hearing on 06.08.2024 through video conferencing. The principal secretary submitted that he would take immediate measures to cater the issue before this Hon'ble Tribunal.

5. It is humbly submitted that vide letter dated- 14.08.2024, Urban development sent a letter to the Minority Welfare and Waqf Department to release the remaining funds for the completion of the STP which is under construction. It is important to mention that 80 percent work of the STP is completed and remaining 20 percent work will be completed after the grant of remaining funds.

   A true copy of the Letter dated 14.08.2024 Issued by Joint secretary, Urban development department is annexed herewith as Annexure-1

6. It is humbly submitted that the Irrigation department, State of UP has requested to the Survey of India to provide the data for the demarcation of river suav. However, the survey of India has sought 6 months' time to provide the same. It is germane to mention here that after completing the process of demarcation, which is the core issue in the present matter, the direction for the removal of the encroachment will be passed to the DM, Balarampur, and EO, Nagar Palika Parishad, Balarampur, UP accordingly and it will be ensured to get the flood plain zone encroachment free in accordance with law.
7. It is humbly submitted that the Principal secretary is taking the order the hon'ble tribunal very seriously and a meeting was convened on 13.08.2024 with the concerned officers. In the meeting strict direction were given to the concerned authorises to comply with the order of this Hon'ble Tribunal in true, letter and spirit.

   A True copy of the minutes of meeting dated 13.08.2024 is annexed herewith as Annexure- 2

8. That considering the seriousness of the matter, being covered under the NGT order, Principal secretary Urban development directed to form a

committee to inspect the site and to prepare action Plan. In pursuance of the direction, the Joint Secretary, Urban Development, State of UP issued letter and directed -

A. Director, Urban Local Bodies, Lucknow

B. Joint Managing director, Jal Nigam (Urban)

C. Special secretary, Urban Development department.

To inspect/Visit the Balarampur Nagar Palika Parishad site and to submit a status report within a week.

A true copy of the letter dated 12.08.2024 is annexed herewith as ANNEXURE-3

9. That it is humbly submitted that site inspection of Municipal Council Balrampur was conducted on 21.08.2024 in which the following officers were present-

A. Shri Anuj Kumar Jha, Director, Local Bodies Directorate, Uttar Pradesh Lucknow.

B. Shri Amit Kumar Singh, Joint Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) Lucknow.

C. Shri Satya Prakash Singh, Special Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh, Lucknow.

D. Shri Pawan Aggarwal, District Magistrate, Balrampur.

E. Dr. Semmaran M., Divisional Forest Officer, Sohelwa Wildlife Division, Balrampur.

F. Shri Pramod Kumar, Additional District Magistrate (Judicial), Balrampur.

G. Dr. Aslam Ansari, Additional Director, Local Bodies Directorate, Uttar Pradesh Lucknow.

H. Shri Rajendra Bahadur, Sub-District Magistrate, Tulsipur/Utraula (Judicial), Balrampur.

I. Shri Sanjeev Kumar Yadav, Sub-District Magistrate, Sadar Balrampur.

J. Shri Rajendra Kumar Yadav, Executive Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

488

K. Shri Anil Kumar, Executive Engineer, Saryu Drainage Section-2, Balrampur.

L. Shri Yunus Khan, Assistant Engineer, Saryu Drainage Section-2, Balrampur.

M. Shri Lal Chand Maurya, Executive Officer, Municipal Council, Balrampur.

N. Shri Vishwas Kashyap, Assistant Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

O. Shri Arvind Kumar, Assistant Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

P. Shri Pawan Kumar Singh, Junior Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

Q. Shri Shailesh Kumar Verma, Junior Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

R. Shri Angad Prasad Verma, Junior Engineer, Jal Nigam (Urban), Balrampur.

S. Shri Arun Kumar Srivastava, Assistant Scientist, Pollution Control Board, Basti.

Apart from the above officers, experts from the State Directorate (Swachh Bharat Mission-Urban) Uttar Pradesh, officials and accountants of the Revenue Department and officials of the Municipal Council were present.

The team visited the site and submitted the status report. The relevant part of the report is below- produced:-

1. *अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु नगर सीमा के निकट ग्राम समाज की 100 x 100 मि0 एस0टी0पी0 एवं 50 x 50 मि0 एफ0एस0टी0पी0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर को पत्र दिनांक 15.01.2024 को प्रेषित किया गया था। उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 13.03.2024* ***(संलग्नक–6)*** *द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर को अवगत करा दिया गया है।*

गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा गाटा सं0–2955 (रक्बा 0.2750) एवं गाटा सं0–3008 (रक्बा 0.3240) का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण करने

के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त गाटा सं0 की भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य कराया जाना संभव नही है।

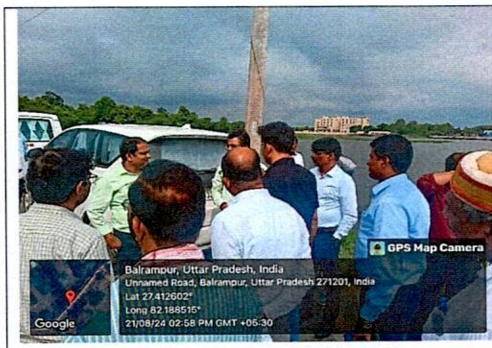

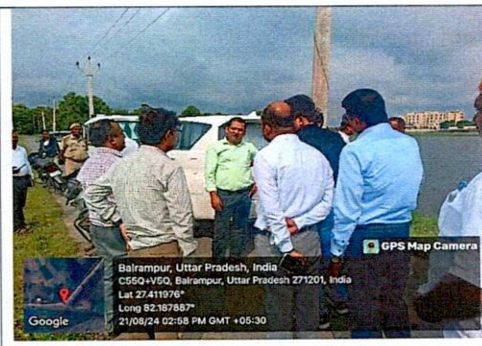

2955 (रक्बा 0.2750)

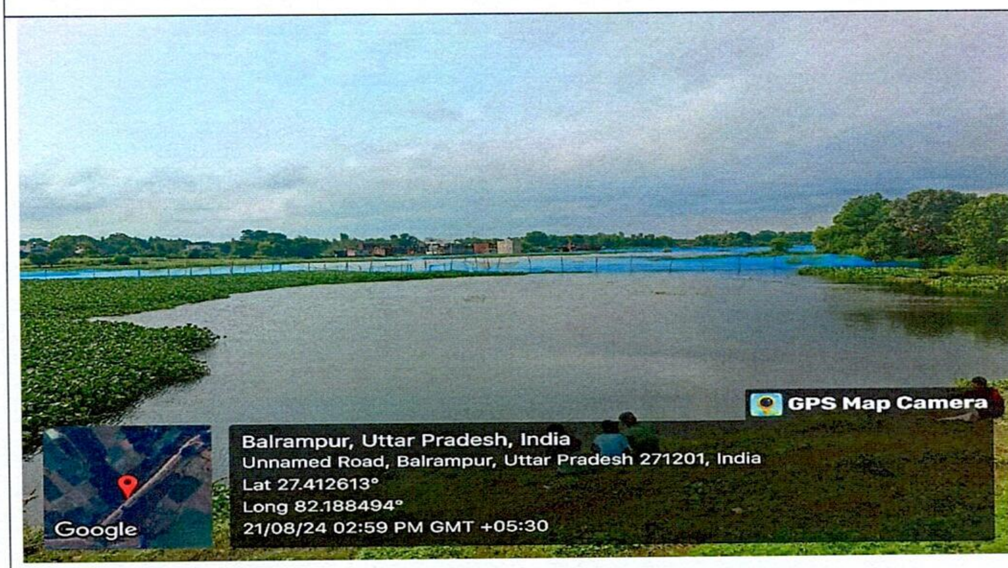

3008 (रक्बा 0.3240)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत नालों के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य हेतु डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 की भूमि का चिन्हाकंन पूर्व में किया गया था। चिन्हित भूमि (गाटा सं0–1403, 1404 (रक्बा 0.7940) बंजर भूमि) का स्थलीय निरीक्षण गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि पर वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति पायी गयी। निरीक्षण करने के पश्चात् गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त गाटा सं0 की भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य या अन्य किसी निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है।

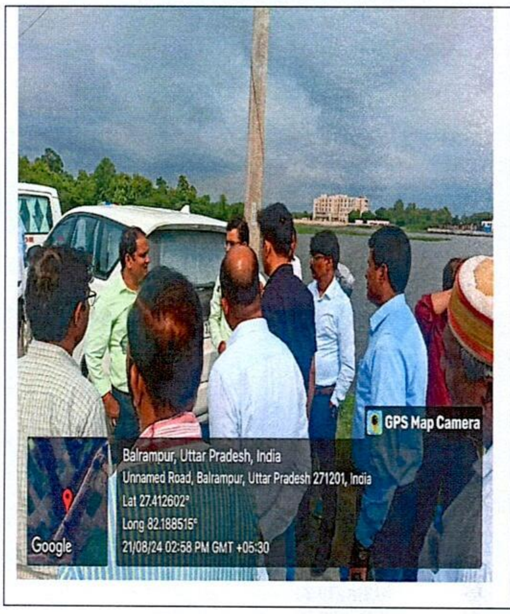

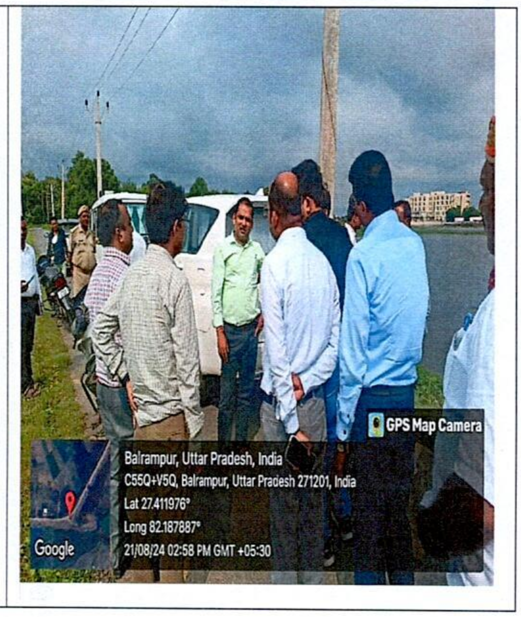

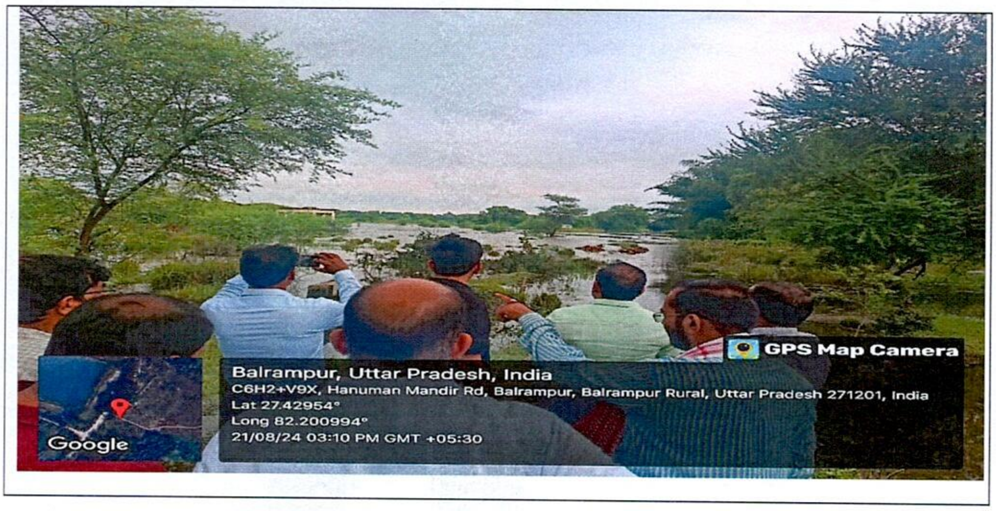

गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय) के अन्तर्गत निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निरीक्षण भी किया गया। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 82488 थी, जो वर्तमान में लगभग 108656 है। वर्तमान में नगर पालिका के 25 वार्ड हैं। नगर पालिका परिषद बलरामपुर की जनसंख्या एवं जनित सीवेज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

Year	Projected Population	Sewage Generated (MLD)
Base year 2026	109433	12.00
Mid Year 2041	142539	16.00
Design Year 2056	187398	21.00

नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) के अन्तर्गत एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बलरामपुर द्वारा कराया जा रहा है। कराए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	एस0टी0पी0	–	8.5 एम0एल0डी0
2.	एम0पी0एस0	–	15 एम0एल0डी0
3.	सीवेज नेटवर्क	–	29.16 कि.मी.
4.	सीवेज हाउस कनेक्शन	–	3519 नग

उक्त योजना की स्वीकृत लागत रू0 123.76 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक धनराशि रू0 77.35 करोड़ प्राप्त हुई है। योजना के कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो गये हैं। अवशेष धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् अवशेष कार्यों को 04 माह में किया जाना लक्षित है। समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि धनावंटन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पुनः अनुरोध कर लिया जाये।

2. श्री संजीव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन एस0टी0पी0 से सटी खाली पड़ी भूमि गाटा संख्या–2371 है, जिसके क्रम में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 **(संलग्नक–7)** संलग्न कर उपजिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा प्रेषित की गयी है। अतः उक्त गाटा सं0–2371 क्षेत्रफल 0.640 हे0 अभिलेख में नवीन परती के खाते में अंकित है। इसी गाटा सं0 पर एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, इसी से पूरव तरफ मिली हुयी 15 x 28 मि0 (0.042 हे0) भूमि खाली पड़ी हुयी है। इसके बीच से 10 x 10 फुट टीन छज्जा बना हुआ है, जिसमें कोई मौके पर आवासित नहीं पाया गया। ऐसी दशा में एस0टी0पी0 से मिली हुयी पूरव तरफ की 15 x 28 मि0 भूमि एस0टी0पी0 के प्रयोग में लायी जा सकती है। यह गाटा सं0 नगर पालिका परिषद के सीमा में स्थित है। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर पालिका परिशद्, बलरामपुर अपने स्तर से उक्त भूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के अन्तर्गत 07 वार्ड में स्थित घरों का जलमल का शोधन हो सकेगा। अवशेष 18 वार्डों की वर्ष 2026 एवं वर्ष 2041 की अभिकल्पित जनसंख्या क्रमशः 62490 तथा 94736 है। उक्त के अनुसार वर्ष 2041 में 20 के0एल0डी0 ($94736 \times 0.00021 m^3$) फीकल स्लज उत्सर्जित होगा। अतः उक्त गाटा

सं0–2371 की अवशेष चिन्हित रिक्त भूमि 15 x 28 मि0 अभिलेख में नवीन परती पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) बलरामपुर को को–ट्रीटमेंट प्लांट हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए 02 कार्य दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये, साथ ही समस्त वार्डो में हाउस होल्ड का रैपिड सर्वे कराते हुए सैप्टिक टैंक के उपयोग की स्थिति स्पष्ट कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को दिये गये। को–ट्रीटमेंट प्लांट बनने पर जो 5 untapped नालों का अशोधित श्राव वर्तमान में स्वां नदी में जा रहा है उन 18 वार्डों के घरों के ओवरफ्लो सेप्टिक टैंक की रोकथाम हो सकेगी और इन वाडों का फीकल स्लज इन 5 नालों मे न जाकर 20 KLD को–ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित किया जायेगा।

समिति ने निर्देशित किया कि पूर्व में एस0बी0एम0–2.0 की एस0एल0टी0सी0 में पारित प्रस्ताव, जिसके अन्तर्गत सुवांव नदी में गिरने वाले पांच नालों की टैपिंग एवं सीवेज के ट्रीटमेन्ट हेतु 8.33 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0, 8.89 के0एल0डी0 को–ट्रीटमेन्ट तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि रू0–1694.00 लाख का प्रोजेक्ट **"सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान"** में लिये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उसके स्थान पर एस0बी0एम0–2.0 की आगामी एस0एल0टी0सी0 में उपरोक्त 18 वार्डों हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्माणाधीन 8.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 के Intake sump के निकट 20 के0एल0डी0 का को–ट्रीटमेंट बनाये जाने के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जाये।

3. नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81054 थी, जो वर्तमान में लगभग 108656 है। वर्तमान समय में नगर पालिका के 25 वार्ड हैं। वर्तमान में लगभग 32 एम०टी० कूड़ा निकलता है। वर्तमान समय में नगर पालिका के 18 मिनी टिपर हैं जो समस्त वार्डो से निकलने वाले सेग्रीगेटेड कूड़े को MRF यूनिट तक पहुंचाते है। इसके अत्तिरिक्त नगर पालिका परिषद् बलरामपुर की मांग पर 04 अतिरिक्त मिनी टिपर देने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया जो की CPHEEO की गाइडलाइन के अनुसार है।

4. नगर से प्रतिदिन उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण किया गया था। परन्तु भूमि विवाद के चलते प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित Case- Consolidation No-17998 of 2021 (Indrajee Tiwari Vs. Dy. Director of Consolidation, Balrampur & others) है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 निम्नवत् है– "Till the next date of listing, parties shall maintain status quo as it exists today in respect of possesstion and also in respect of the entries in the revenue records". प्रकरण में अग्रिम तिथि 27.08.2024 नियत है। समिति द्वारा जिलाधिकारी, जनपद बलरामपुर को स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये।

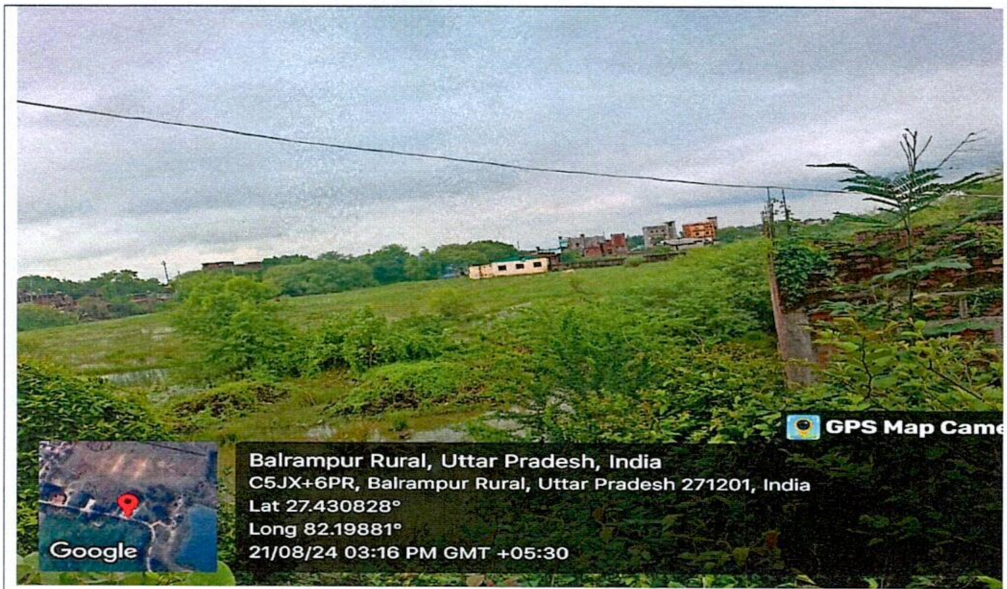

5. उक्त के अतिरिक्त एक अन्य एम0आर0एफ0 सेण्टर के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि गाटा सं0–2546 नवीन परती (रकबा 0.2370) का निरीक्षण किया गया। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को दिनांक–14.08.2024 **(संलग्नक–8)** को एम0आर0एफ0 के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के दृष्टिगत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। समस्त अपेक्षाए नियमानुसार पूर्ण कराते हुए एम0आर0एफ0 का निर्माण 04 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

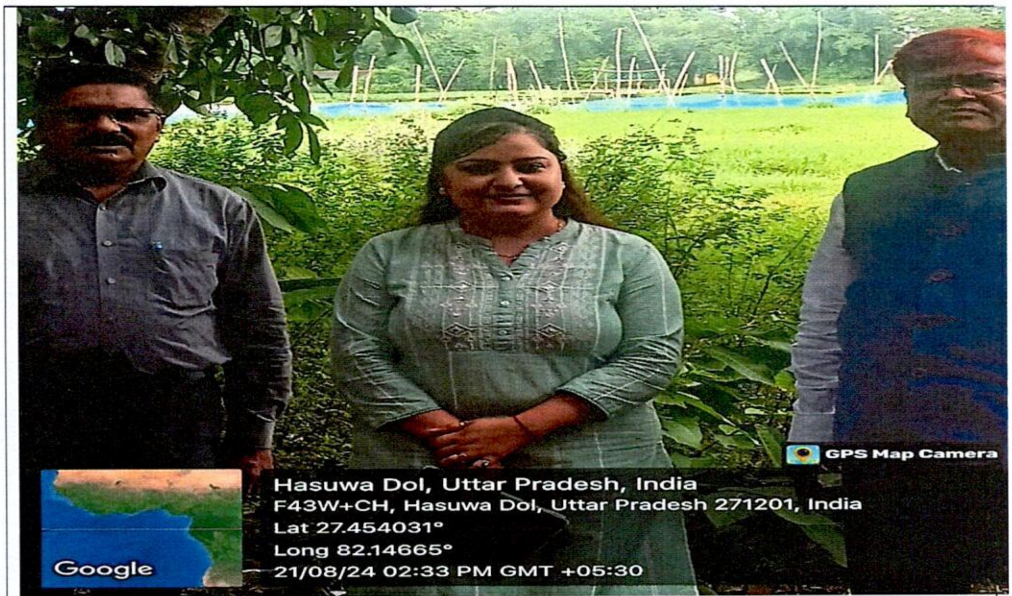

6. नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निकलने वाले गीले कचड़े के निस्तारण हेतु 5 TPD क्षमता के वेट वेस्ट प्रोसोसिंग यूनिट (Wet Waste Processing Unit) के प्रस्तावित अधिष्ठापन भूमि गाटा सं0–2478 खलिहान (0.1580 हे0) का निरीक्षण टीम द्वारा किया गया। तद्पोरान्त समस्त आवश्यक कार्यवाही कराते हुए यथा–शीघ्र कार्य 02 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

7. स्थलीय निरिक्षण के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया की निर्माणाधीन एस.टी.पी. गाटा सं0–2371 की अवशेष चिन्हित रिक्त भूमि 15 x 28 मि0 अभिलेख में नवीन परती पर को–ट्रीटमेंट प्लांट का डी0पी0आर0 समस्त अपेक्षाए नियमानुसार पूर्ण कराते हुए

यथा–शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये। जिसके माध्यम से सभी घरों से डी-स्लजिंग वेहिकल जो उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय द्वारा के मध्यान से प्रदान की जाएगी से सेप्टिक टैंक की नियमित सफाई और ट्रीटमेंट को–ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जा कर किया जायेगा।

स्थलीय निरिक्षण के उपरांत समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं दिनांक 31.07.2024 व दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन में दिए गए निर्देशों में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय पूर्ण कराते हुए रिपोर्ट यथा-शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए।

A true copy of the Report is annexed herewith as Annexure- 4

अतः समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय उपस्थित तकनीकी विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

- समिति, जिला प्रशासन व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा गाटा सं0–2955 (रक्बा 0.2750), गाटा सं0–3008 (रक्बा 0.3240) एवं (गाटा सं0–1403, 1404 (रक्बा 0.7940) बंजर भूमि) का स्थलीय निरीक्षण किया गया और पाया गया कि एस0टी0पी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि जलभराव क्षेत्र होने के कारण तथा उक्त गाटा सं0 की भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य कराया जाना उपयुक्त नहीं है।
- समिति द्वारा पूर्व में एस0बी0एम0–2.0 की एस0एल0टी0सी0 में पारित प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत सुवांव नदी में गिरने वाले पांच नालों की टैपिंग एवं सीवेज के ट्रीटमेन्ट हेतु 8.33 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0, 8.89 के0एल0डी0 को–ट्रीटमेन्ट तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि रू0–1694.00 लाख का प्रोजेक्ट "**सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान**" में लिये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उसके स्थान पर एस0बी0एम0–2.0 की आगामी एस0एल0टी0सी0 में उपरोक्त 18 वार्डों हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्माणाधीन 8.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 के Intake sump के निकट 20 के0एल0डी0 का को–ट्रीटमेंट बनाये जाने के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण किया गया था। परन्तु भूमि विवाद के चलते प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित Case-Consolidation No-17998 of 2021 (Indrajee Tiwari Vs. Dy. Director of Consolidation, Balrampur & others) है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 निम्नवत् है– "Till the next date of listing, parties shall maintain status quo as it exists today in respect of possesstion and also in respect of the entries in the revenue records". समिति द्वारा जिलाधिकारी, जनपद बलरामपुर को उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- उक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रस्तावित एम0आर0एफ0 सेण्टर के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि गाटा सं0–2546 नवीन परती (रकबा 0.2370) का निरीक्षण किया गया। समिति

द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण कराते हुए एम0आर0एफ0 का निर्माण ससमय (04 माह) में पूर्ण कराये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

- नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निकलने वाले गीले कचड़े (wet waste) के निस्तारण हेतु 5 TPD क्षमता के वेट वेस्ट प्रोसोसिंग यूनिट (Wet Waste Processing Unit) के प्रस्तावित अधिष्ठापन भूमि गाटा सं0–2478 (0.1580 हे0) का निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त समस्त आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी, बलरामपुर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को कराते हुए यथा–शीघ्र कार्य 02 माह में कम्पोस्ट पिट पूर्ण कराये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

10. That it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to Kindly take the instant Response on record.

Place- Lucknow

Date-

Filed By; -

(AMRIT ABHIJAT)
PRINCIPAL SECRETARY
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
UTTAR PRADESH

499

मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई दिनांक 29.08.2024
समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्याःएन0जी0टी0–223 / नौ–5–2024–18रिट / 2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6–मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2024**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024, 31.07.2024 एवं दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024, 31.07.2024 एवं 06.08.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 29.08.2024 नियत है।**

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में सुनवाई के पूर्व विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से दाखिल किया जाना है।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय पूर्ण कराते हुए आख्या / रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

Item No.07 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.433/2022

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 06.08.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant(s): None

Respondent(s): Mr. Gi. Gi. C. George Advocate for State of U.P, P.S. Irrigation Department andNMCG
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harshwardhan Singh Rajawat, Mr. DeveshPratap Singh and Ms. Aditi Bhardwaj, Advocates for P.S. Urban Development,State of U.P. with Mr. AmritAbhijat, PS Urban Development (through VC)
Mr. Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani Advocates for respondent no. 3 (through VC)
Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Nagar PalikaParishad, Balrampur

ORDER

1. Shri Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Developmentis present and stated that he may be granted 15 days' time to take effective steps in the matter.

2. As prayed, list on 29.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August06, 2024
Original Application No.433/2022
M

501

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2024 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक का निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग गयाः–

1–श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2–श्री अनुज कुमार झा, निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।

3–श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

4–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

5–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

6–श्री एम0ए0 अंसारी, अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8–श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

2– अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में सर्व संबंधितों के साथ बैठक सम्पन्न हुईः–

क्र0सं0	वाद संख्या का विवरण
1.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या–38/2023 in ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य।
2.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।
3.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.32/2023 in ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P
4.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य।
5.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य।
6.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
7.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।
8.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य।

3– उक्त वादों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सर्व संबंधितों द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा/अनुश्रवण किया गया। उक्त आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

- **एम0ए0 संख्या–38/2023 in ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य**

नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा ओ0सी0ओ0पी0 के तहत अशोधित जल की Chlorination की कार्यवाही की जाए तथा जल में fecal coliform की मात्रा प्रदूषण मानकों के अनुरूप हो, इसका ध्यान रखा जाए।

नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड–44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा किये जा रहे कार्यो को तेज गति से कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व सक्षम स्तर से ससमय रिपोर्ट/रिस्पॉस दाखिल किये जाने की कार्यवाही भी की जाए।

(कार्यवाहीः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद)

- **ओ0ए0 संख्या–1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।**

नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद के यमुना नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की आई0एण्डडी0 करने हेतु 02 नग नालों (दिल्ली साईड ड्रेन एवं नोएडा साईड ड्रेन) की आई0एण्डडी0 कार्यो में तेजी लाई जाए, जिससे मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व सक्षम स्तर से ससमय रिपोर्ट/रिस्पॉस दाखिल किये जाने की कार्यवाही भी की जाए।

(कार्यवाहीः–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद)

- Execution Application No.32/2023 in ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P.

नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद रायबरेली

- रायबरेली सीवरेज परियोजना फेज–3 के कार्यो की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट प्रकट करते हुए निर्देश दिये गये है कि परियोजना की नियमित मॉनीटरिंग हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिन–प्रतिदिन की समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद रायबरेली के 7 अनटैप्ड नाले, जिनके माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है, का बायोरिमिडेशन का कार्य नगर पालिका परिषद, रायबरेली द्वारा कराया जाए।
- नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद–रायबरेली के 7 अनटैप्ड नाले, जिनके माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है कि टैपिंग का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाना है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की अद्यतन आख्या (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत की जाए तथा जिलाधिकारी, रायबरेली से समन्वय स्थापित कर आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर पालिका परिषद, रायबरेली में स्थापित एस0टी0पी0 से निकलने वाला शोधित जल सी0पी0सी0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण मानकों के अनुरूप नहीं है। इसकी जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाहीः–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, रायबरेली/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद–रायबरेली)

<u>नगर पालिका परिषद बेल्हा, जनपद–प्रतापगढ़</u>

- नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़, जनपद–प्रतापगढ़ में जिन अनटैप्ड नालों के माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है, का बायोरिमिडेशन का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा कराया जाए।
- उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में स्थापित की गयी एस0टी0पी0 के आउटलेट में निकलने वाले शोधित जल को संई नदी में छोडे जाने से पूर्व क्लोरीनीफिकेशन की कार्यवाही की जाए।
- नगर पालिका परिषद, रायबरेली में स्थापित एस0टी0पी0 से निकलने वाला शोधित जल सी0पी0सी0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण मानकों के अनुरूप नहीं है। इसकी जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाहीः–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, प्रतापगढ़/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा जनपद–प्रतापगढ़)

➢ **<u>ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य।</u>**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा

आगामी एक सप्ताह में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से एक सप्ताह में आख्या/रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही:–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, बलरामपुर/श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–एन0जी0टी0–222/नौ–5–2024–42रिट/2023
लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
2–निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–जिलाधिकारी, रायबरेली/प्रतापगढ़/बलरामपुर।
6–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7–अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)/खोड़ा मकनपुर (गाजियाबाद)/रायबरेली (रायबरेली)/बेल्हा (प्रतापगढ़)/बलरामपुर (बलरामपुर)।
9–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10–श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
12–कम्प्यूटर सेल, गार्ड बुक।

आज्ञा से,
14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

505

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः–एन0जी0टी0–218/नौ–5–2024–18रिट/2024
लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

क्रमांक	नामित अधिकारी	पदनाम
1	श्री अनुज कुमार झा	राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
2	श्री अमित कुमार सिंह	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3	श्री सत्य प्रकाश पटेल	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– विषयगत प्रकरण में गठित उक्त समिति द्वारा आगामी एक सप्ताह में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से एक सप्ताह में आख्या/रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उल्लेखनीय है कि विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 29.08.2024 को नियत है, जिसमें सुनवाई के पूर्व शासन की ओर से कृत कार्यवाही/कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है।

12.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–एन0जी0टी0–218(1)/नौ–5–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
2–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3–श्री अनुज कुमार झा, निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–जिलाधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे विषयगत प्रकरण में नामित अधिकारियों के स्थलीय भ्रमण के दौरान अन्य विभागों से समन्वय/यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर।
8–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10–गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

12.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Item No.03 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 433/2022

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of U.P Respondent

Date of hearing: 10.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondent: Mr. Gi. Gi. C. George and Mr. Ishwer Singh, Advocates for Respondents no. 1, 2, 4 & 5.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani Advocates for respondent no. 3. (Through VC).
Mr. Abhishek Yadav Advocate for Nagar Palika Parishad, Balrampur.

ORDER

1. The issue of serious damage caused to River Suav flowing in District Balrampur due to encroachment and discharge of sewage was raised in this original application. Several orders were passed from time to time requiring the respondents to demarcate flood plain zone and also remove present pollution of the river.

2. In the order dated 18.10.2023, Tribunal directed concerned respondents to take steps for further remedial measures for identification of flood plain zone, removal of encroachments in accordance with law, preparation of detailed action plan with budgetary estimates and timelines for rehabilitation/rejuvenation of River Suav.

3. The demarcation of flood plain zone is the first step besides taking remedial step for removal of pollution due to discharge of effluents.

4. We find that order was passed on 18.10.2023 but after almost more than 8 months, nothing concrete has progressed in this matter and we are told that Department of Irrigation has sent a letter to Survey of India to provide maps for purpose of demarcation of flood plain zones.

5. This dilly-dallying exercise on the part of the authorities cannot be appreciated and this shows a total negligence and inaction on the part of concerned respondents for not taking timely action, in such a serious matter.

6. Learned counsel appearing for State made a statement that pursuant to Tribunal's order dated 19.05.2023, demarcation of flood plain zone upto 50 mtrs distance from edge of River Suav on both right and left side in urban municipal limit of Balrampur and upto 100 mtrs minimum or existing natural buffer zone of River Suav outside of urban municipal limit of Balrampur has been done. It is also said that pursuant to above order, identification of encroachments by construction of houses, religious structures, schools, etc in the 50 mtr distance from the edge of left and right of River Suav in urban municipal limit of Balrampur city has also been completed.

7. However, we find that the above order was only till a complete demarcation of flood plain zone as per the required principle of law is made. It did not absolve the respondent from making a complete exercise of identification/demarcation of flood plain zone in respect of River Suav in the area concerned.

8. We are also informed that the entire constructions within 50 mtr distance from edge of River on both left and right banks of River Suav in urban municipal limit of Balrampur city have not been removed and some encroachments are still continuing.

9. We fail to understand as to why such leniency has been shown in respect of some encroachments which are still continuing and no effective action has been taken in accordance with law.

10. In such circumstances, we direct Additional Chief Secretaries or Principal Secretaries of Deptt. of Jal Shakti; Irrigation Department; and Urban Development Department of State pf U.P to appear in person before Tribunal on the next date and place their stand categorically by filing response as to how and what manner the flood plain zone will be demarcated; and discharge of pollution shall be stopped; and, encroachment shall also be removed.

11. List on 31.07.2024.

12. A copy of this order be forwarded to Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries, Jal Shakti, Department of Irrigation Department and Urban Development of State of UP by email for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 10, 2024
Original Application No. 433/2022
AB

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 433/2022
(IA No. 340/2024)

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 31.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondents: Mr. Gi. Gi. C. George Advocate for State of U.P, P.S. Irrigation Department and NMCG.
With Mr. Anil Garg P.S. Irrigation (through VC)
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for P.S. Urban Development, State of U.P.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani Advocates for respondent no. 3. (through VC).
Mr. Abhishek Yadav and Mr. Saurabh Yadav, Advocates for Nagar Palika Parishad, Balrampur.

ORDER

1. On the basis of letter petition dated 20.04.2022 received from Paryavaran, Van Evam Vanya Jeev Sanrakshan Samiti through Pateshwari Prasad Singh. This original application was registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction.

2. Complainant has said that Balrampur was earlier part of District Gonda in which four rivers, namely Rapti, Suav, Kuwana and Besuhi were

flowing. With formulation/implementation of forest and agricultural development policies, reclamation of land for agriculture, settlement of Marwari traders in new township named Bhagwatiganj, increase of population and encroachments in its catchment/flood plain zone, river Suav has been converted into nallah. Further encroachment is being made by construction of Sewage Treatment Plant (hereinafter referred to as '**STP**') and community centre which may lead to serious environmental degradation, therefore, stoppage of such construction may be ordered.

3. Tribunal took cognizance of the matter on 31.05.2022 and found it appropriate to obtain a factual report for which it constituted a joint committee comprising representatives of Regional Office of MoEF & CC, Lucknow, Uttar Pradesh Pollution Control Board(hereinafter referred to as '**UPPCB**'), Ministry of Jal Shakti, Govt. of India, State of UP and District Magistrate Balrampur.

4. Pursuant to order dated 31.05.2022, Joint Committee submitted a report, initially taking a stand that Suav river, infact is a drain and not river and for drain there is no provision of demarcation of flood plain zone.

5. This report was considered by Tribunal on 05.09.2022. It was observed that in the Gazetteer of District Gonda published in 1905 Suav was shown as a river and it give rise to question as to whether Suav is a river or a drain. Since joint committee has not considered this aspect, Tribunal directed joint committee to look into this aspect and submit fresh report. Tribunal also found that for discharge of municipal effluent in river, there was no proper arrangement and only an STP was under construction but for preventing such discharge, no action was taken by concerned authorities. Authorities were also directed to submit report on this aspect.

6. Pursuant to order dated 05.09.2022, Chief Environment Officer (Circle-6), UPPCB, Basti submitted report dated13.10.2022 stating that UP Jal Nigam, Balrampur has obtained Consent To Establish (hereinafter referred to as '**CTE**') for construction of 8.5 MLDSTP at Balrampur, granted by UPPCB vide letter dated 08.09.2022.

7. Joint Committee report dated 21.01.2023 was submitted wherein it was admitted that in the Gazetteer of District Gonda published in 1906 describing topography, demography, agriculture, rivers in detail, Suav was shown as river of considerable proportion before joining river Rapti near Rasoolabad in Utaraula pargana.

8. Relevant extract of report reads as under:

> ***"4.0. Important points which emerged from the discussion/Field visit***
>
> *i. The Gazetteer of Gonda, published in 1906 describes the topography, demography, Agriculture, Rivers in fair detail. The document mentions that there are a number small channels/drains joining River Rapti, which carry water only during wet season and resemble like river. But the only tributary of significance to the* ***river*** *Rapti is BurhiRapti on its North(left) Bank and River Suwawan (Suav) on its South (Right Bank). The Gazetteer says that the river Suav becomes a river of considerable proportion before its joining in river Rapti near Rasoolabad in Utaraulapargana Relevant extract of the Gazetteer is enclosed at* ***Annexure-I.***
>
> *ii. The Irrigation officials informed that the Suav river/drain in question in their records is named as Gopiyapur drain and is about 38 km in length from its origin from a Jhil/Tal near Gopiyapur village in Balrampur district uptoChande Tal (close to right bank of River Rapti). From Chande Tal two channels emerge, one with a length of few hundred meters takes a north course and drains directly into river Rapti and another channel (known locally as Suav) emerges from south of Chande Tal and takes south-east direction and after traversing a distance of about 82 km merges with river Rapti near Rasoolabad in Uttraula Tehsil close to border of District Siddharthnagar and merges with Rapti During monsoon season when the Rapti is in spate and rainfall occurs in the area causing the Chande Tal to swell, all of the water is carried by this Channel (River/Drain Suav). The Suav below Chande Tal passes through many Jhils/Tals and at many places the banks are not well defined and during dry season it merges with the adjoining agriculture fields.*

iii. *It was surprisingly gathered during the course of discussion that at many places where the channel of the river is not defined, the bed of the Suav is used for agriculture purpose and is also owned by farmers, who have such land in their own name as per land records. During monsoon season the water flows from these fields giving Suav a natural course. It was also informed that during Rabi season the Chande Tal also becomes agriculture field.*

iv. *The whole river from its origin up its confluence with Rapti (about 120 Km with drainage of about 235 square kilmetres) drains a large tract of land during monsoon and also acts as irrigation drain for the water which flows out from the adjacent agricultural fields. It was further informed that the Suav river/drain is maintained by Irrigation Department from time to time (latest resectioning was done in 2020-21). As per the information provided by Irrigation officials, the design discharge estimated as 568 cusec for Gopiyapur drain and at Tail end of Suav river/drain is 1059 cusec. More details of the river Suav and Gopiyapur Drain is enclosed at* ***Annexure-II(a)*** *and* ***II(b) respectively.***

v. *The officials presented an index map of drainage system in the district of Balrampur and adjoining districts, which is enclosed at* ***Annexure-III***. *It can be seen from the map that the Basti Branch of the irrigation canal irrigates the total area (**Pink colour**) lying between river Rapti and River Kwano in the district of Balrampur through a network of Distributaries and Minors. The Basti branch canal is a ridge canal and the drainage of the major geographical area lying between north of the Basti Branch Canal and river Rapti is taken care by the Suav river, which includes the Balrampur town also.*

vi, *The officer from State Remote Sensing Centre, UP presented the satellite imagery of the Gopiyapur drain part of Suav river for theyear 1985, 1995, 2004, 2015, 2020 and 2022 (Annexure-IV). In all the Imageries the banks of the Suav is clearly defined with an extremely meandering nature (specific to rivers flowing in very flat area). In October 2022 imagery, when there were heavy discharge in the rivers, the Chande Tal swelled and the north channel draining into river Rapti became undefined.*

vii. *The map showing river Suav from Chande Tal to its confluence with river Rapti near Rasoolabad close to Siddharthnagar district border is placed at* ***Annexure-V***.

viii. *The Committee visited the location where STP is being constructed along the left bank of the Suavriver (Figure 1). It was observed that the retaining wall is being constructed on the left high bank of the river/drain. The left bank is higher in elevation than the right bank. A heap of litter was found dumped on opposite side (Right Bank) of under construction STP. At the time of visit a flow of the order of 2-3 cumec was observed in the river/drain near under construction STP."*

9. Thereafter with regard to demarcation of river for stoppage of sewage discharge in river and for removal of encroachments, several orders were passed, various reports submitted but nothing substantial has been done.

10. In these facts and circumstances, on 10.07.2024, this Tribunal directed Additional Chief Secretaries /Principal Secretaries of Deptt. of Jal Shakti, Irrigation Department and Urban Development Department of State of UP to appear in person before Tribunal to place their stand categorically by filing response as to how and what manner the flood plain zone will be demarcated, discharge of pollution will be stopped and encroachment shall be removed.

11. Today, Anil Garg, Principal Secretary, Irrigation, Department of Jal Shakti has appeared virtually and stated that for demarcation of flood plain zone of river Suav data has been called from Survey of India but they have sought six months time.

12. So far as, Principal Secretary, Urban Development is concerned he is neither present in person nor in virtual mode nor any response has been placed on record.

13. We intended to implead Director General, Survey of India but in the absence of any material to show that any delaying tactic is being adopted by Survey of India creating obstructions in demarcation of river Suav, we find it difficult to pass any order today.

14. Principal Secretary, Irrigation said that he may place the letter of Survey of India on record within three days.

15. So far as, Principal Secretary, Urban Development is concerned who is also not present and has also not filed any response, initially we were inclined to issue warrant but considering the request made by Sh.

Bhanwar Pal Singh Jadon, Counsel appearing for Principal Secretary, Urban Development seeking short adjournment, we direct him to comply the order dated 10.07.2024 by next date.

16. List on 06.08.2024.

17. IA No. 340/2024 stands disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

July 31, 2024
Original Application No. 433/2022
(IA No. 340/2024)
AB

515

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433 / 2022 Pateshwari Prasad Sinh Vs State of U.P. व अन्य में गठित समिति का नगर पालिका परिषद बलरामपुर का स्थलीय निरीक्षण।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433 / 2022 Pateshwari Prasad Sinh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं दिनांक 31.07.2024 व दिनांक 06.08.2024 **(संलग्नक–1)** के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक–12.08.2024 द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर के स्थलीय निरीक्षण के दृष्टिगत द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–एन0जी0टी0 / 218 / नौ–5–2024 –18रिट / 2024 दिनांक 12.08.2024 **(संलग्नक–2)** द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गयाः–

1–श्री अनुज कुमार झा, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
3–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।

उक्त प्रकरण पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2024 **(संलग्नक–3)** को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं दिनांक 31.07.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा आगामी एक सप्ताह में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर जनपद–बलरामपुर में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के क्रम में नगर विकास अनुभाग–5 के पत्र सख्या–एन0जी0टी0–223 / नौ–5–2024–18रिट / 2024, दिनांक 14 अगस्त 2024 **(संलग्नक–4)** द्वारा वांछित कार्यवाही ससमय पूर्ण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–4 / 2963 / एन0जी0टी0 / 2024, दिनांक 14 अगस्त 2024 **(संलग्नक–5)** द्वारा प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत गठित समिति का दिनांक 21.08.2024 को प्रस्तावित भ्रमण उल्लिखित करते हुए स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु (1) जिलाधिकारी, बलरामपुर, (2) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवीपाटन मण्डल एवं (3) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर को पत्र निर्गत किया गया है।

गठित समिति द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार सुवांव नदी के नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत दोनों तरफ 50–50 मीटर अतिक्रमण हटाने, नगर पालिका परिषद के समस्त नालों के उत्प्रवाह, जो बिना उपचार के सुवांव नदी में प्रवाहित होता है उनके उपचार करने तथा ऐसे नालों को टैप करने के लिए एस0टी0पी0 का निर्माण, इस हेतु भूमि का चिन्हिकरण एवं भूमि उपलब्धता व कूड़े का निस्तारण हेतु विवादित एम0आर0एफ0 सेन्टर का निराकरण, नये एम0आर0एफ0 हेतु भूमि चिन्हिकरण, एम0आर0एफ0 निर्माण व सुवांव नदी को प्रदूषण, अपदूषण मुक्त कर नदी का रीजूवेनिशन व फलड प्लेन एरिया को डिमार्केशन किये जाने आदि बिन्दुओं पर रिपोर्ट शासन को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा के क्रम में दिनांक–21.08.2024 को नगर पालिका परिषद बलरामपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त निम्न अधिकारी भी स्थलीय निरीक्षण के समय उपस्थित थे :–

516

1. श्री पवन अग्रवाल, जिलाधिकारी, बलरामपुर।
2. डॉ0 सेम्मारन एम0, प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।
3. श्री प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
4. डॉ0 असलम अंसारी, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. श्री राजेन्द्र बहादुर, उपजिलाधिकारी, तुलसीपुर/उतरौला (न्यायिक), बलरामपुर।
6. श्री संजीव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, सदर बलरामपुर।
7. श्री राजेन्द्र कुमार यादव, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
8. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर।
9. श्री यूनुस खान, सहायक अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर।
10. श्री लाल चन्द मौर्या, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
11. श्री विश्वास कश्यप, सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
12. श्री अरविन्द कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
13. श्री पवन कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
14. श्री शैलेश कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
15. श्री अंगद प्रसाद वर्मा, अवर अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
16. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सहायक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।

उक्त के अतिरिक्त समिति के साथ में राज्य मिशन निदेशालय (स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय) उ0प्र0 से स्वच्छ भारत अभियान विशेषज्ञों की टीम तथा राजस्व विभाग के अधिकारी व लेखपाल एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारी व कर्मचारीगण की उपस्थिति में एक बैठक करके सभी विषयों पर चर्चा की गयी तत्पश्चात स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु नगर सीमा के निकट ग्राम समाज की 100 x 100 मि0 एस0टी0पी0 एवं 50 x 50 मि0 एफ0एस0टी0पी0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर को पत्र दिनांक 15.01.2024 को प्रेषित किया गया था। उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 13.03.2024 **(संलग्नक–6)** द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर को अवगत करा दिया गया है।

   गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा गाटा सं0–2955 (रक्बा 0.2750) एवं गाटा सं0–3008 (रक्बा 0.3240) का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण करने के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त गाटा सं0 की भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य कराया जाना संभव नही है।

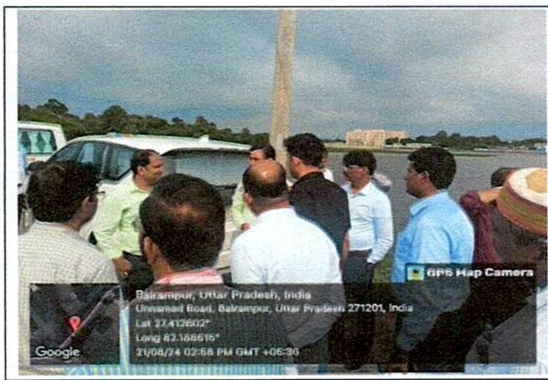

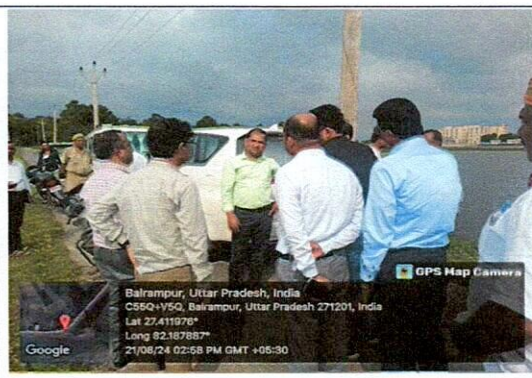

2955 (रक्बा 0.2750)

517

3008 (रक्बा 0.3240)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत नालों के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य हेतु डी0पी0आर0 के **निर्माण** हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 की भूमि का चिन्हाकंन पूर्व में किया गया था। चिन्हित भूमि (गाटा सं0–1403, 1404 (रक्बा 0.7940) बंजर भूमि) का स्थलीय निरीक्षण गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित भूमि पर वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति पायी गयी। निरीक्षण करने के पश्चात् गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त गाटा सं0 की भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य **या अन्य किसी निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है।**

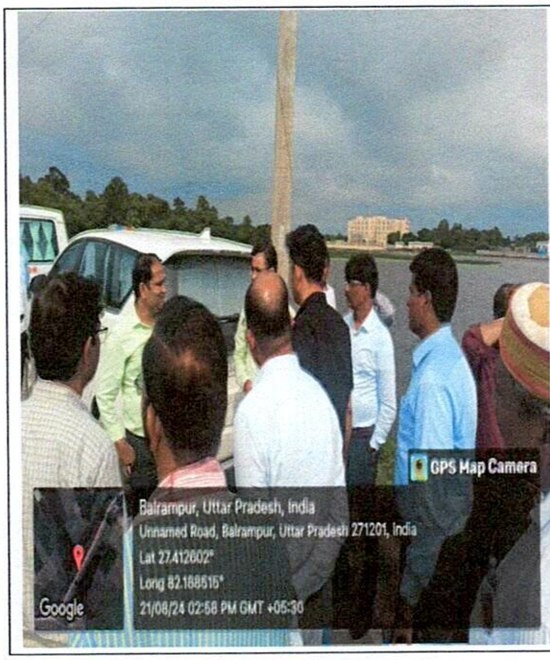

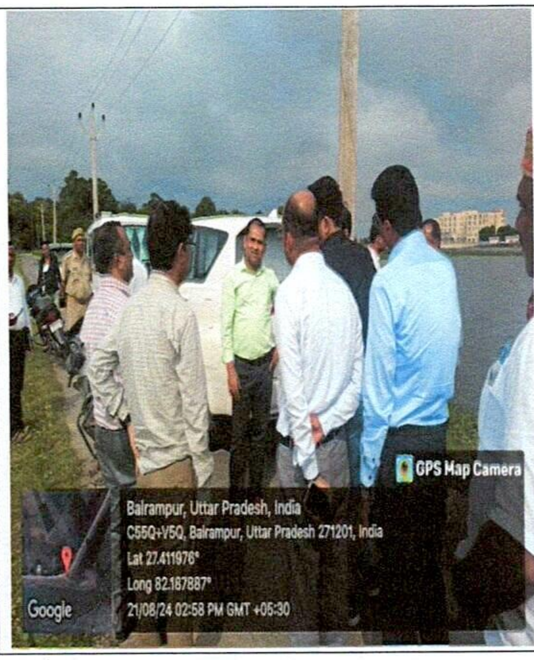

518

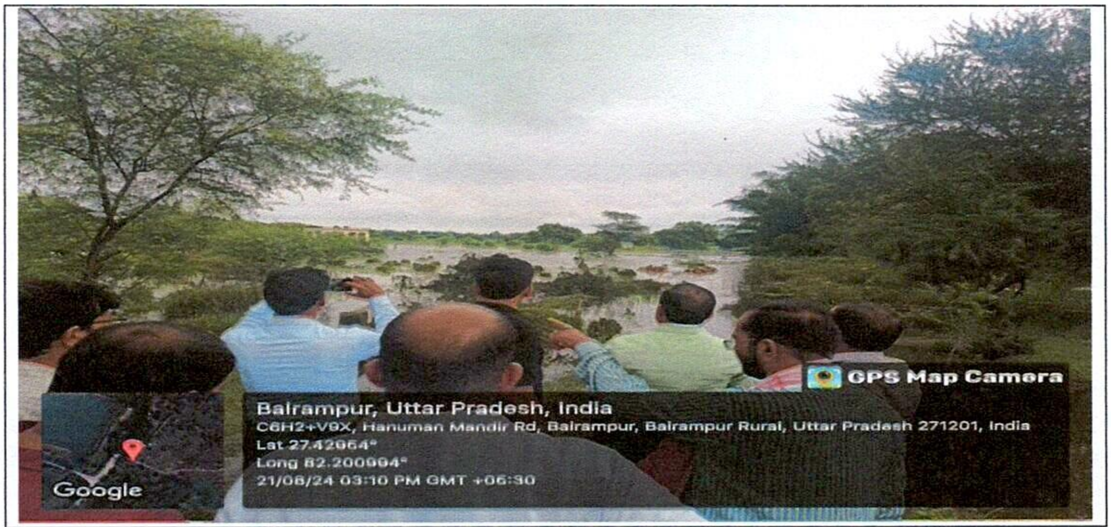

गठित समिति तथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय) के अन्तर्गत निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निरीक्षण भी किया गया। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 82488 थी, जो वर्तमान में लगभग 108656 है। वर्तमान में नगर पालिका के 25 वार्ड हैं। नगर पालिका परिषद बलरामपुर की जनसंख्या एवं जनित सीवेज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

Year	Projected Population	Sewage Generated (MLD)
Base year 2026	109433	12.00
Mid Year 2041	142539	16.00
Design Year 2056	187398	21.00

नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) के अन्तर्गत एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बलरामपुर द्वारा कराया जा रहा है। कराए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. एस0टी0पी0 – 8.5 एम0एल0डी0
2. एम0पी0एस0 – 15 एम0एल0डी0
3. सीवेज नेटवर्क – 29.16 कि.मी.
4. सीवेज हाउस कनेक्शन – 3519 नग

उक्त योजना की स्वीकृत लागत रू0 123.76 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक धनराशि रू0 77.35 करोड़ प्राप्त हुई है। योजना के कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो गये हैं। अवशेष धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् अवशेष कार्यों को 04 माह में किया जाना लक्षित है। समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि धनावंटन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पुनः अनुरोध कर लिया जाये।

519

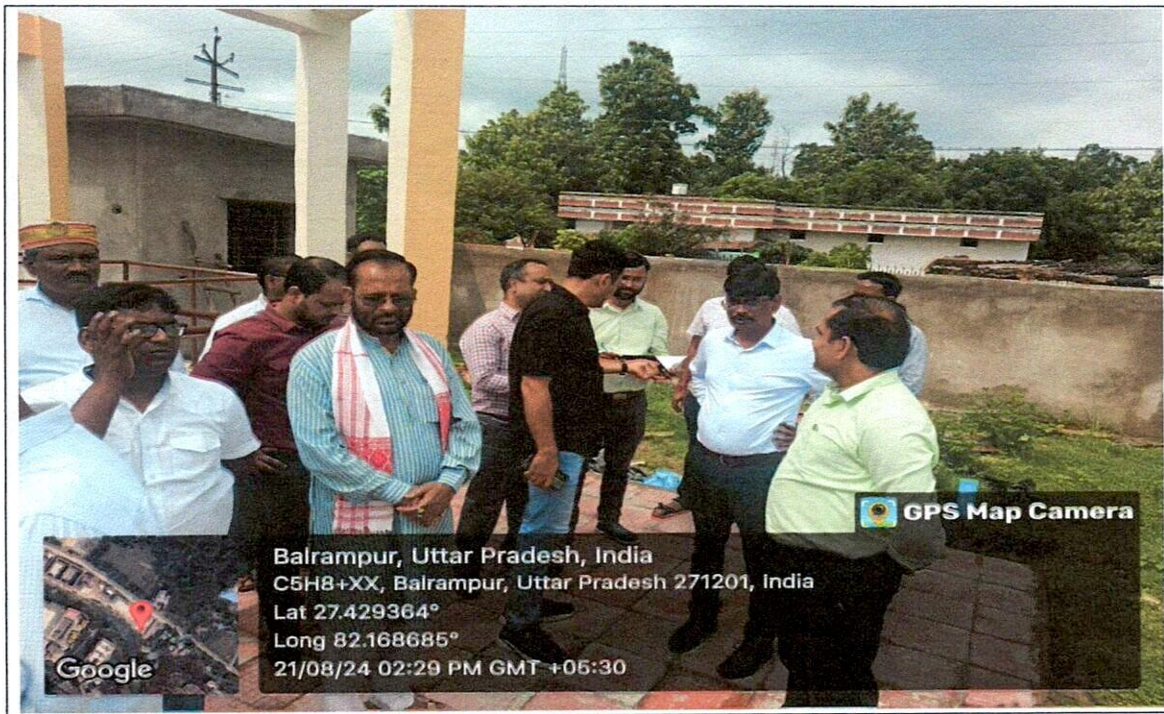
GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, India
C5H8+XX, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.429364°
Long 82.168685°
21/08/24 02:29 PM GMT +05:30
Google

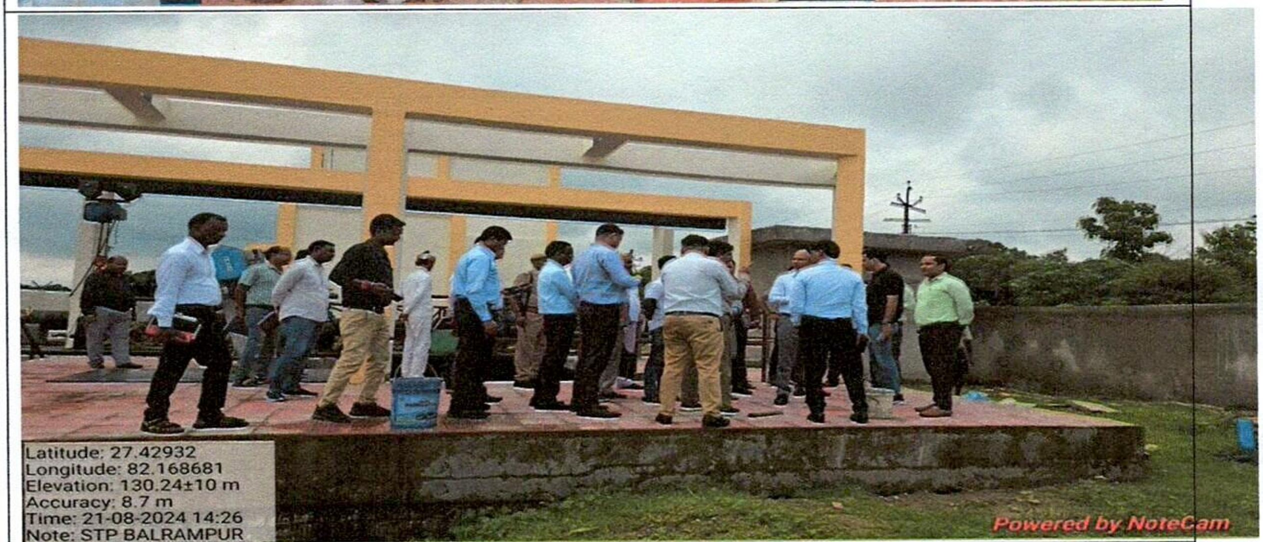
Latitude: 27.42932
Longitude: 82.168681
Elevation: 130.24±10 m
Accuracy: 8.7 m
Time: 21-08-2024 14:26
Note: STP BALRAMPUR
Powered by NoteCam

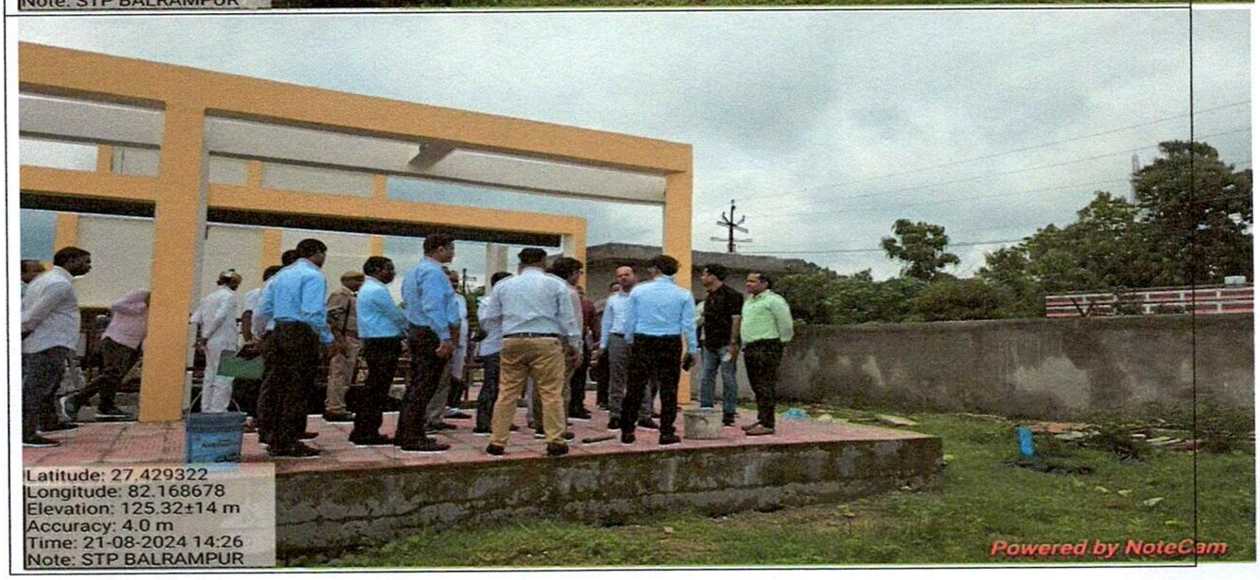
Latitude: 27.429322
Longitude: 82.168678
Elevation: 125.32±14 m
Accuracy: 4.0 m
Time: 21-08-2024 14:26
Note: STP BALRAMPUR
Powered by NoteCam

2. श्री संजीव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी सदर बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन एस0टी0पी0 से सटी खाली पड़ी भूमि गाटा संख्या–2371 है, जिसके क्रम में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 **(संलग्नक–7)** संलग्न कर उपजिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा प्रेषित की गयी है। अतः उक्त गाटा सं0–2371 क्षेत्रफल 0.640 हे0 अभिलेख में नवीन परती के खाते में अंकित है। इसी गाटा सं0 पर एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, इसी से पूरब तरफ मिली हुयी 15 x 28 मि0 (0.042 हे0) भूमि खाली पड़ी हुयी है। इसके बीच से 10 x 10 फुट टीन छज्जा बना हुआ है, जिसमें कोई मौके पर आवासित नहीं पाया गया। ऐसी दशा में एस0टी0पी0 से मिली हुयी पूरब तरफ की 15 x 28 मि0 भूमि एस0टी0पी0 के प्रयोग में लायी जा सकती है। यह गाटा सं0 नगर पालिका परिषद के सीमा में स्थित है। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर अपने स्तर से उक्त भूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के अन्तर्गत 07 वार्ड में स्थित घरों का जलमल का शोधन हो सकेगा। अवशेष 18 वार्डों की वर्ष 2026 एवं वर्ष 2041 की अभिकल्पित जनसंख्या क्रमशः 62490 तथा 94736 है। उक्त के अनुसार वर्ष 2041 में 20 के0एल0डी0 (94736 x $0.00021m^3$) फीकल स्लज उत्सर्जित होगा। अतः उक्त गाटा सं0–2371 की अवशेष चिन्हित रिक्त भूमि 15 x 28 मि0 अभिलेख में नवीन परती पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) बलरामपुर को को–ट्रीटमेंट प्लांट हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए 02 कार्य दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये, साथ ही समस्त वार्डो में हाउस होल्ड का रैपिड सर्वे कराते हुए सैप्टिक टैंक के उपयोग की स्थिति स्पष्ट कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को दिये गये। को–ट्रीटमेंट प्लांट बनने पर जो 5 untapped नालों का अशोधित श्राव वर्तमान में स्वां नदी में जा रहा है उन 18 वार्डों के घरों के ओवरफ्लो सेप्टिक टैंक की रोकथाम हो सकेगी और इन वाडों का फीकल स्लज इन 5 नालों मे न जाकर 20 KLD को–ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित किया जायेगा।

समिति ने निर्देशित किया कि पूर्व में एस0बी0एम0–2.0 की एस0एल0टी0सी0 में पारित प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत सुवांव नदी में गिरने वाले पांच नालों की टैपिंग एवं सीवेज के ट्रीटमेन्ट हेतु 8.33 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0, 8.89 के0एल0डी0 को–ट्रीटमेन्ट तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि रू0–1694.00 लाख का प्रोजेक्ट "**सिटो सेनिटशन एक्शन प्लान**" में लिये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उसके स्थान पर एस0बी0एम0–2.0 की आगामी एस0एल0टी0सी0 में उपरोक्त 18 वार्डों हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्माणाधीन 8.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 के Intake sump के निकट 20 के0एल0डी0 का को–ट्रीटमेंट बनाये जाने के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जाये।

3. नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81054 थी, जो वर्तमान में लगभग 108656 है। वर्तमान समय में नगर पालिका के 25 वार्ड हैं। वर्तमान में लगभग 32 एम०टी० कूड़ा निकलता है। वर्तमान समय में नगर पालिका के 18 मिनी टिपर हैं जो समस्त वार्डो से निकलने वाले सेग्रीगेटेड कूड़े को MRF यूनिट तक पहुंचाते है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद् बलरामपुर की मांग पर 04 अतिरिक्त मिनी टिपर देने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया जो की CPHEEO की गाइडलाइन के अनुसार है।

521

4. नगर से प्रतिदिन उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण किया गया था। परन्तु भूमि विवाद के चलते प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित Case-Consolidation No-17998 of 2021 (Indrajee Tiwari Vs. Dy. Director of Consolidation, Balrampur & others) है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 निम्नवत् है– "Till the next date of listing, parties shall maintain status quo as it exists today in respect of possesstion and also in respect of the entries in the revenue records". प्रकरण में अग्रिम तिथि 27.08.2024 नियत है। समिति द्वारा जिलाधिकारी, जनपद बलरामपुर को स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये।

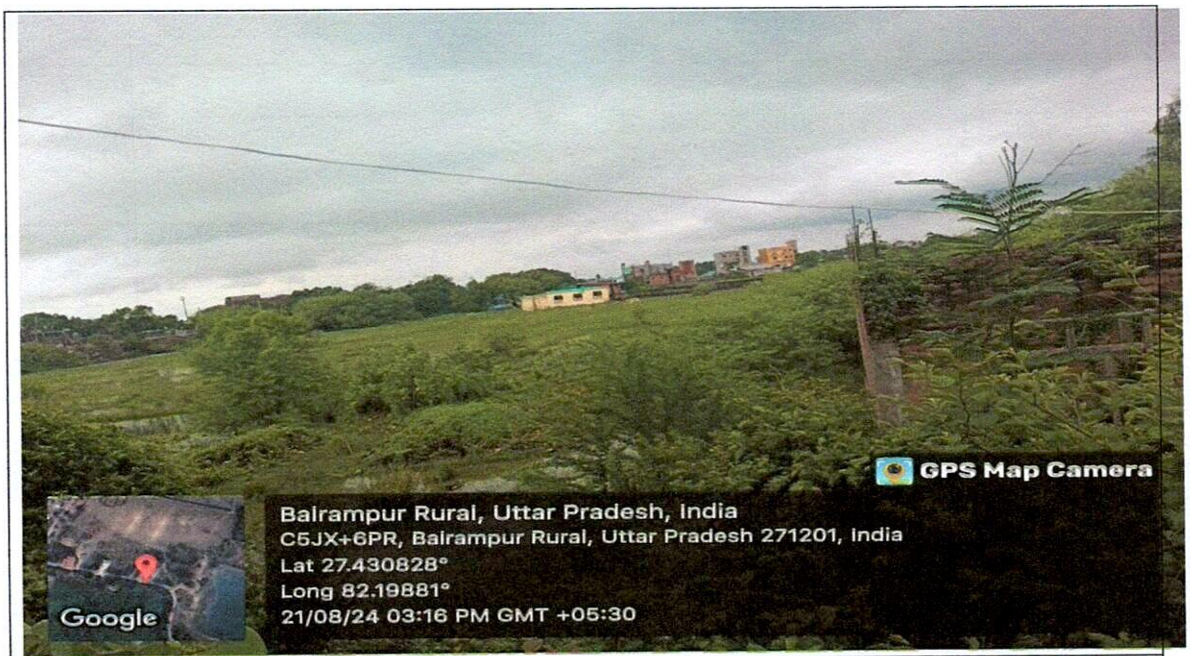

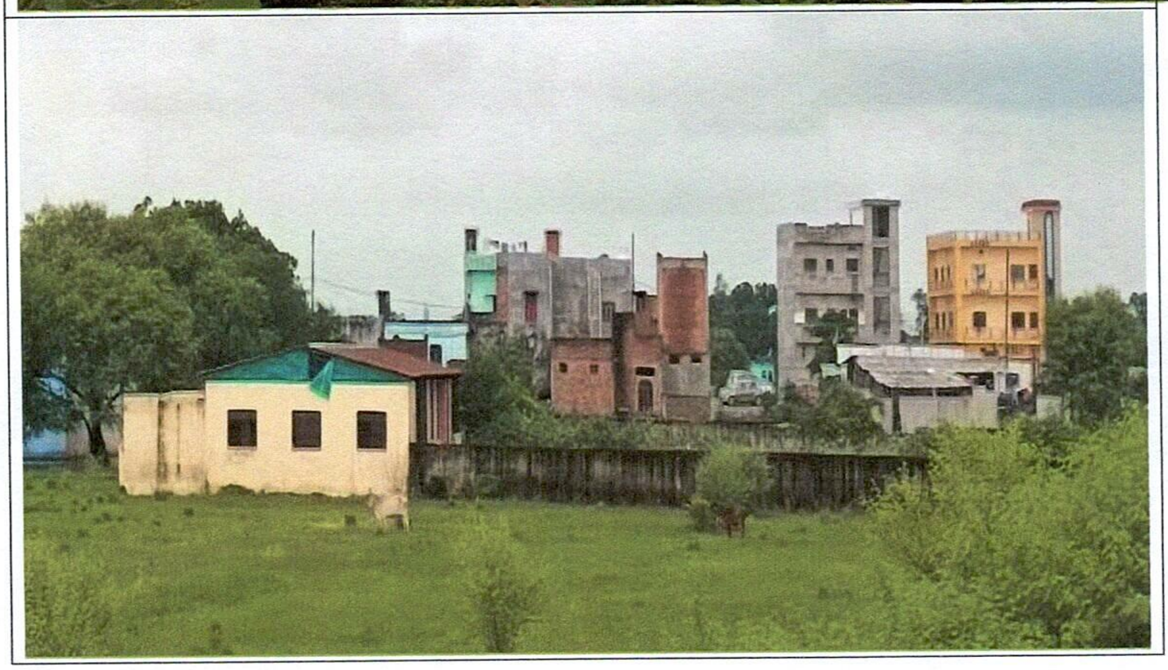

5. उक्त के अतिरिक्त एक अन्य एम0आर0एफ0 सेण्टर के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि गाटा सं0–2546 नवीन परती (रकबा 0.2370) का निरीक्षण किया गया। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को दिनांक–14.08.2024 **(संलग्नक–8)** को एम0आर0एफ0 के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के दृष्टिगत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। समस्त अपेक्षाए नियमानुसार पूर्ण कराते हुए एम0आर0एफ0 का निर्माण 04 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

6. नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निकलने वाले गीले कचड़े के निस्तारण हेतु 5 TPD क्षमता के वेट वेस्ट प्रोसोसिंग यूनिट (Wet Waste Processing Unit) के प्रस्तावित अधिष्ठापन भूमि गाटा सं0–2478 खलिहान (0.1580 हे0) का निरीक्षण टीम द्वारा किया गया। तद्पोरान्त समस्त आवश्यक कार्यवाही कराते हुए यथा–शीघ्र कार्य 02 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, India
C55P+R3C, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.409601°
Long 82.185122°
21/08/24 03:15 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, India
C55P+R3C, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.409601°
Long 82.185122°
21/08/24 03:18 PM GMT +05:30
Google

7. स्थलीय निरिक्षण के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया की निर्माणाधीन एस.टी.पी. गाटा सं0–2371 की अवशेष चिन्हित रिक्त भूमि 15 x 28 मि0 अभिलेख में नवीन परती पर को–ट्रीटमेंट प्लांट का डी0पी0आर0 समस्त अपेक्षाए नियमानुसार पूर्ण कराते हुए यथा–शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्देश दिये गये। जिसके माध्यम से सभी घरों से डी-स्लजिंग वेहिकल जो उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय द्वारा के मध्यान से प्रदान की जाएगी से सेप्टिक टैंक की नियमित सफाई और ट्रीटमेंट को–ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जा कर किया जायेगा।

स्थलीय निरिक्षण के उपरांत समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433 / 2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं दिनांक 31.07.2024 व दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन में दिए गए निर्देशों में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय पूर्ण कराते हुए रिपोर्ट यथा-शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए।

(सत्य प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(अमित कुमार सिंह)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

Item No.07 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.433/2022

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 06.08.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant(s): None

Respondent(s): Mr. Gi. Gi. C. George Advocate for State of U.P, P.S. Irrigation Department andNMCG
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harshwardhan Singh Rajawat, Mr. DeveshPratap Singh and Ms. Aditi Bhardwaj, Advocates for P.S. Urban Development,State of U.P. with Mr. AmritAbhijat, PS Urban Development (through VC)
Mr. Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani Advocates for respondent no. 3 (through VC)
Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Nagar PalikaParishad, Balrampur

ORDER

1. Shri Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Developmentis present and stated that he may be granted 15 days' time to take effective steps in the matter.

2. As prayed, list on 29.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August06, 2024
Original Application No.433/2022
M

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 433/2022
(IA No. 340/2024)

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 31.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondents: Mr. Gi. Gi. C. George Advocate for State of U.P, P.S. Irrigation Department and NMCG.
With Mr. Anil Garg P.S. Irrigation (through VC)
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for P.S. Urban Development, State of U.P.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani Advocates for respondent no. 3. (through VC).
Mr. Abhishek Yadav and Mr. Saurabh Yadav, Advocates for Nagar Palika Parishad, Balrampur.

ORDER

1. On the basis of letter petition dated 20.04.2022 received from Paryavaran, Van Evam Vanya Jeev Sanrakshan Samiti through Pateshwari Prasad Singh. This original application was registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction.

2. Complainant has said that Balrampur was earlier part of District Gonda in which four rivers, namely Rapti, Suav, Kuwana and Besuhi were

flowing. With formulation/implementation of forest and agricultural development policies, reclamation of land for agriculture, settlement of Marwari traders in new township named Bhagwatiganj, increase of population and encroachments in its catchment/flood plain zone, river Suav has been converted into nallah. Further encroachment is being made by construction of Sewage Treatment Plant (hereinafter referred to as '**STP**') and community centre which may lead to serious environmental degradation, therefore, stoppage of such construction may be ordered.

3. Tribunal took cognizance of the matter on 31.05.2022 and found it appropriate to obtain a factual report for which it constituted a joint committee comprising representatives of Regional Office of MoEF & CC, Lucknow, Uttar Pradesh Pollution Control Board(hereinafter referred to as '**UPPCB**'), Ministry of Jal Shakti, Govt. of India, State of UP and District Magistrate Balrampur.

4. Pursuant to order dated 31.05.2022, Joint Committee submitted a report, initially taking a stand that Suav river, infact is a drain and not river and for drain there is no provision of demarcation of flood plain zone.

5. This report was considered by Tribunal on 05.09.2022. It was observed that in the Gazetteer of District Gonda published in 1905 Suav was shown as a river and it give rise to question as to whether Suav is a river or a drain. Since joint committee has not considered this aspect, Tribunal directed joint committee to look into this aspect and submit fresh report. Tribunal also found that for discharge of municipal effluent in river, there was no proper arrangement and only an STP was under construction but for preventing such discharge, no action was taken by concerned authorities. Authorities were also directed to submit report on this aspect.

6. Pursuant to order dated 05.09.2022, Chief Environment Officer (Circle-6), UPPCB, Basti submitted report dated13.10.2022 stating that UP Jal Nigam, Balrampur has obtained Consent To Establish (hereinafter referred to as '**CTE**') for construction of 8.5 MLDSTP at Balrampur, granted by UPPCB vide letter dated 08.09.2022.

7. Joint Committee report dated 21.01.2023 was submitted wherein it was admitted that in the Gazetteer of District Gonda published in 1906 describing topography, demography, agriculture, rivers in detail, Suav was shown as river of considerable proportion before joining river Rapti near Rasoolabad in Utaraula pargana.

8. Relevant extract of report reads as under:

> ***"4.0. Important points which emerged from the discussion/Field visit***
>
> *i. The Gazetteer of Gonda, published in 1906 describes the topography, demography, Agriculture, Rivers in fair detail. The document mentions that there are a number small channels/drains joining River Rapti, which carry water only during wet season and resemble like river. But the only tributary of significance to the* ***river*** *Rapti is BurhiRapti on its North(left) Bank and River Suwawan (Suav) on its South (Right Bank). The Gazetteer says that the river Suav becomes a river of considerable proportion before its joining in river Rapti near Rasoolabad in Utaraulapargana Relevant extract of the Gazetteer is enclosed at* ***Annexure-I.***
>
> *ii. The Irrigation officials informed that the Suav river/drain in question in their records is named as Gopiyapur drain and is about 38 km in length from its origin from a Jhil/Tal near Gopiyapur village in Balrampur district uptoChande Tal (close to right bank of River Rapti). From Chande Tal two channels emerge, one with a length of few hundred meters takes a north course and drains directly into river Rapti and another channel (known locally as Suav) emerges from south of Chande Tal and takes south-east direction and after traversing a distance of about 82 km merges with river Rapti near Rasoolabad in Uttraula Tehsil close to border of District Siddharthnagar and merges with Rapti During monsoon season when the Rapti is in spate and rainfall occurs in the area causing the Chande Tal to swell, all of the water is carried by this Channel (River/Drain Suav). The Suav below Chande Tal passes through many Jhils/Tals and at many places the banks are not well defined and during dry season it merges with the adjoining agriculture fields.*

iii. *It was surprisingly gathered during the course of discussion that at many places where the channel of the river is not defined, the bed of the Suav is used for agriculture purpose and is also owned by farmers, who have such land in their own name as per land records. During monsoon season the water flows from these fields giving Suav a natural course. It was also informed that during Rabi season the Chande Tal also becomes agriculture field.*

iv. *The whole river from its origin up its confluence with Rapti (about 120 Km with drainage of about 235 square kilmetres) drains a large tract of land during monsoon and also acts as irrigation drain for the water which flows out from the adjacent agricultural fields. It was further informed that the Suav river/drain is maintained by Irrigation Department from time to time (latest resectioning was done in 2020-21). As per the information provided by Irrigation officials, the design discharge estimated as 568 cusec for Gopiyapur drain and at Tail end of Suav river/drain is 1059 cusec. More details of the river Suav and Gopiyapur Drain is enclosed at **Annexure-II(a)** and **II(b) respectively.***

v. *The officials presented an index map of drainage system in the district of Balrampur and adjoining districts, which is enclosed at **Annexure-III**. It can be seen from the map that the Basti Branch of the irrigation canal irrigates the total area **(Pink colour)** lying between river Rapti and River Kwano in the district of Balrampur through a network of Distributaries and Minors. The Basti branch canal is a ridge canal and the drainage of the major geographical area lying between north of the Basti Branch Canal and river Rapti is taken care by the Suav river, which includes the Balrampur town also.*

vi, *The officer from State Remote Sensing Centre, UP presented the satellite imagery of the Gopiyapur drain part of Suav river for theyear 1985, 1995, 2004, 2015, 2020 and 2022 (Annexure-IV). In all the Imageries the banks of the Suav is clearly defined with an extremely meandering nature (specific to rivers flowing in very flat area). In October 2022 imagery, when there were heavy discharge in the rivers, the Chande Tal swelled and the north channel draining into river Rapti became undefined.*

vii. *The map showing river Suav from Chande Tal to its confluence with river Rapti near Rasoolabad close to Siddharthnagar district border is placed at **Annexure-V**.*

viii. *The Committee visited the location where STP is being constructed along the left bank of the Suavriver (Figure 1). It was observed that the retaining wall is being constructed on the left high bank of the river/drain. The left bank is higher in elevation than the right bank. A heap of litter was found dumped on opposite side (Right Bank) of under construction STP. At the time of visit a flow of the order of 2-3 cumec was observed in the river/drain near under construction STP."*

9. Thereafter with regard to demarcation of river for stoppage of sewage discharge in river and for removal of encroachments, several orders were passed, various reports submitted but nothing substantial has been done.

10. In these facts and circumstances, on 10.07.2024, this Tribunal directed Additional Chief Secretaries /Principal Secretaries of Deptt. of Jal Shakti, Irrigation Department and Urban Development Department of State of UP to appear in person before Tribunal to place their stand categorically by filing response as to how and what manner the flood plain zone will be demarcated, discharge of pollution will be stopped and encroachment shall be removed.

11. Today, Anil Garg, Principal Secretary, Irrigation, Department of Jal Shakti has appeared virtually and stated that for demarcation of flood plain zone of river Suav data has been called from Survey of India but they have sought six months time.

12. So far as, Principal Secretary, Urban Development is concerned he is neither present in person nor in virtual mode nor any response has been placed on record.

13. We intended to implead Director General, Survey of India but in the absence of any material to show that any delaying tactic is being adopted by Survey of India creating obstructions in demarcation of river Suav, we find it difficult to pass any order today.

14. Principal Secretary, Irrigation said that he may place the letter of Survey of India on record within three days.

15. So far as, Principal Secretary, Urban Development is concerned who is also not present and has also not filed any response, initially we were inclined to issue warrant but considering the request made by Sh.

Bhanwar Pal Singh Jadon, Counsel appearing for Principal Secretary, Urban Development seeking short adjournment, we direct him to comply the order dated 10.07.2024 by next date.

16. List on 06.08.2024.

17. IA No. 340/2024 stands disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

July 31, 2024
Original Application No. 433/2022
(IA No. 340/2024)
AB

Item No.03 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 433/2022

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of U.P Respondent

Date of hearing: 10.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondent: Mr. Gi. Gi. C. George and Mr. Ishwer Singh, Advocates for Respondents no. 1, 2, 4 & 5.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani Advocates for respondent no. 3. (Through VC).
Mr. Abhishek Yadav Advocate for Nagar Palika Parishad, Balrampur.

ORDER

1. The issue of serious damage caused to River Suav flowing in District Balrampur due to encroachment and discharge of sewage was raised in this original application. Several orders were passed from time to time requiring the respondents to demarcate flood plain zone and also remove present pollution of the river.

2. In the order dated 18.10.2023, Tribunal directed concerned respondents to take steps for further remedial measures for identification of flood plain zone, removal of encroachments in accordance with law, preparation of detailed action plan with budgetary estimates and timelines for rehabilitation/rejuvenation of River Suav.

3. The demarcation of flood plain zone is the first step besides taking remedial step for removal of pollution due to discharge of effluents.

4. We find that order was passed on 18.10.2023 but after almost more than 8 months, nothing concrete has progressed in this matter and we are told that Department of Irrigation has sent a letter to Survey of India to provide maps for purpose of demarcation of flood plain zones.

5. This dilly-dallying exercise on the part of the authorities cannot be appreciated and this shows a total negligence and inaction on the part of concerned respondents for not taking timely action, in such a serious matter.

6. Learned counsel appearing for State made a statement that pursuant to Tribunal's order dated 19.05.2023, demarcation of flood plain zone upto 50 mtrs distance from edge of River Suav on both right and left side in urban municipal limit of Balrampur and upto 100 mtrs minimum or existing natural buffer zone of River Suav outside of urban municipal limit of Balrampur has been done. It is also said that pursuant to above order, identification of encroachments by construction of houses, religious structures, schools, etc in the 50 mtr distance from the edge of left and right of River Suav in urban municipal limit of Balrampur city has also been completed.

7. However, we find that the above order was only till a complete demarcation of flood plain zone as per the required principle of law is made. It did not absolve the respondent from making a complete exercise of identification/demarcation of flood plain zone in respect of River Suav in the area concerned.

8. We are also informed that the entire constructions within 50 mtr distance from edge of River on both left and right banks of River Suav in urban municipal limit of Balrampur city have not been removed and some encroachments are still continuing.

9. We fail to understand as to why such leniency has been shown in respect of some encroachments which are still continuing and no effective action has been taken in accordance with law.

10. In such circumstances, we direct Additional Chief Secretaries or Principal Secretaries of Deptt. of Jal Shakti; Irrigation Department; and Urban Development Department of State pf U.P to appear in person before Tribunal on the next date and place their stand categorically by filing response as to how and what manner the flood plain zone will be demarcated; and discharge of pollution shall be stopped; and, encroachment shall also be removed.

11. List on 31.07.2024.

12. A copy of this order be forwarded to Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries, Jal Shakti, Department of Irrigation Department and Urban Development of State of UP by email for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 10, 2024
Original Application No. 433/2022
AB

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः–एन0जी0टी0–218/नौ–5–2024–18रिट/2024
लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

क्रमांक	नामित अधिकारी	पदनाम
1	श्री अनुज कुमार झा	राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
2	श्री अमित कुमार सिंह	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3	श्री सत्य प्रकाश पटेल	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– विषयगत प्रकरण में गठित उक्त समिति द्वारा आगामी एक सप्ताह में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से एक सप्ताह में आख्या/रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उल्लेखनीय है कि विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 29.08.2024 को नियत है, जिसमें सुनवाई के पूर्व शासन की ओर से कृत कार्यवाही/कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है।

12.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–एन0जी0टी0–218(1)/नौ–5–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
2–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3–श्री अनुज कुमार झा, निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–जिलाधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे विषयगत प्रकरण में नामित अधिकारियों के स्थलीय भ्रमण के दौरान अन्य विभागों से समन्वय/यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर।
8–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10–गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
12.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2024 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक का निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग गयाः–

1–श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2–श्री अनुज कुमार झा, निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।

3–श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

4–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

5–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

6–श्री एम0ए0 अंसारी, अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8–श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

2– अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में सर्व संबंधितों के साथ बैठक सम्पन्न हुईः–

क्र0सं0	**वाद संख्या का विवरण**
1.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या–38/2023 in ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य।
2.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।
3.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Execution Application No.32/2023 in ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P
4.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य।
5.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य।
6.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
7.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।
8.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य।

3– उक्त वादों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सर्व संबंधितों द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा/अनुश्रवण किया गया। उक्त आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है:–

- **एम0ए0 संख्या–38/2023 in ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य**

नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा ओ0सी0ओ0पी0 के तहत अशोधित जल की Chlorination की कार्यवाही की जाए तथा जल में fecal coliform की मात्रा प्रदूषण मानकों के अनुरूप हो, इसका ध्यान रखा जाए।

नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड–44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा किये जा रहे कार्यो को तेज गति से कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व सक्षम स्तर से ससमय रिपोर्ट/रिस्पॉस दाखिल किये जाने की कार्यवाही भी की जाए।

(कार्यवाहीः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद)

- **ओ0ए0 संख्या–1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।**

नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद के यमुना नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की आई0एण्डडी0 करने हेतु 02 नग नालों (दिल्ली साईड ड्रेन एवं नोएडा साईड ड्रेन) की आई0एण्डडी0 कार्यो में तेजी लाई जाए, जिससे मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व सक्षम स्तर से ससमय रिपोर्ट/रिस्पॉस दाखिल किये जाने की कार्यवाही भी की जाए।

(कार्यवाहीः–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद)

- Execution Application No.32/2023 in ओ0ए0 संख्या–490/2019 T.S. Singh vs. State of U.P.

नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद रायबरेली

- रायबरेली सीवरेज परियोजना फेज–3 के कार्यो की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट प्रकट करते हुए निर्देश दिये गये है कि परियोजना की नियमित मॉनीटरिंग हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिन–प्रतिदिन की समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद रायबरेली के 7 अनटैप्ड नाले, जिनके माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है, का बायोरिमिडेशन का कार्य नगर पालिका परिषद, रायबरेली द्वारा कराया जाए।
- नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद–रायबरेली के 7 अनटैप्ड नाले, जिनके माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है कि टैपिंग का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाना है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की अद्यतन आख्या (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत की जाए तथा जिलाधिकारी, रायबरेली से समन्वय स्थापित कर आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर पालिका परिषद, रायबरेली में स्थापित एस0टी0पी0 से निकलने वाला शोधित जल सी0पी0सी0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण मानकों के अनुरूप नहीं है। इसकी जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही:–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, रायबरेली/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली, जनपद–रायबरेली)

<u>नगर पालिका परिषद बेल्हा, जनपद–प्रतापगढ़</u>

- नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़, जनपद–प्रतापगढ़ में जिन अनटैप्ड नालों के माध्यम से अशोधित मल सीधे सईं नदी में प्रावाहित हो रहा है, का बायोरिमिडेशन का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा कराया जाए।
- उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में स्थापित की गयी एस0टी0पी0 के आउटलेट में निकलने वाले शोधित जल को संई नदी में छोडे जाने से पूर्व क्लोरीनीफिकेशन की कार्यवाही की जाए।
- नगर पालिका परिषद, रायबरेली में स्थापित एस0टी0पी0 से निकलने वाला शोधित जल सी0पी0सी0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण मानकों के अनुरूप नहीं है। इसकी जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही:–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, प्रतापगढ़/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा जनपद–प्रतापगढ़)

➢ **<u>ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य।</u>**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा

आगामी एक सप्ताह में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से एक सप्ताह में आख्या/रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाहीः–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/जिलाधिकारी, बलरामपुर/श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–एन0जी0टी0–222/नौ–5–2024–42रिट/2023
लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
2–निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–जिलाधिकारी, रायबरेली/प्रतापगढ़/बलरामपुर।
6–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7–अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)/खोड़ा मकनपुर (गाजियाबाद)/रायबरेली (रायबरेली)/बेल्हा (प्रतापगढ़)/बलरामपुर (बलरामपुर)।
9–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10–श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
12–कम्प्यूटर सेल, गार्ड बुक।

आज्ञा से,
14.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

540

मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई दिनांक 29.08.2024
समयबद्ध/महत्वपूर्ण
संख्याःएन0जी0टी0–223/नौ–5–2024–18रिट/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6–मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2024**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024, 31.07.2024 एवं दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024, 31.07.2024 एवं 06.08.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 29.08.2024 नियत है।**

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में सुनवाई के पूर्व विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से दाखिल किया जाना है।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय पूर्ण कराते हुए आख्या/रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
14.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
14.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

Item No.07 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.433/2022

Pateshwari Prasad Singh Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 06.08.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant(s): None

Respondent(s): Mr. Gi. Gi. C. George Advocate for State of U.P, P.S. Irrigation Department andNMCG
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harshwardhan Singh Rajawat, Mr. DeveshPratap Singh and Ms. Aditi Bhardwaj, Advocates for P.S. Urban Development,State of U.P. with Mr. AmritAbhijat, PS Urban Development (through VC)
Mr. Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani Advocates for respondent no. 3 (through VC)
Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Nagar PalikaParishad, Balrampur

ORDER

1. Shri Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Developmentis present and stated that he may be granted 15 days' time to take effective steps in the matter.

2. As prayed, list on 29.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August06, 2024
Original Application No.433/2022
M

542

ई–मेल
सर्वोच्च प्राथमिकता/एन0जी0टी0 प्रकरण
स्थलीय निरीक्षण
दिनांक 21.08.2024
समय : मध्यान्ह 12:00 बजे से

प्रेषक,

निदेशक
नगर निकाय निदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
जनपद–बलरामपुर।

2–क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, देवीपाटन मण्डल।

3–अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद वलरामपुर।

पत्रांक–4/2963/एन0जी0टी0/2024 दिनांक– 14,08.2024

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 एवं दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद वलरामपुर का स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 के पत्र संख्या–एन0जी0टी0–218/नौ–5–2024–18रिट/2024 दिनांक 12.08.2024 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024, दिनांक 31.07.2024 व दिनांक 06.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रश्नगत वाद में दिनांक 06.08.2024 को विस्तृत रूप से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष शासन का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा 15 दिन का समय प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रदान किया गया है। प्रश्नगत वाद में निर्धारित तिथि दिनांक 29.08.2024 को नियत है।

3– प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग द्वारा प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एन0जी0टी0–218/नौ–5–2024–18रिट/2024 दिनांक 12.08.2024 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी सम्वोधित है। जिस के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी, श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ व श्री सत्य प्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन सम्मिलित है।

4– शासन द्वारा गठित समिति का दिनांक 21.08.2024 मध्यान्ह 12:00 बजे दिन से नगर पालिका परिषद वलरामपुर जनपद वलरामपुर में स्थलीय भ्रमण प्रस्तावित है। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से समयवद्ध आख्या/रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

5– समिति द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार सुवांव नदी के नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत दोनो तरफ 50–50 मीटर अतिक्रमण हटाने, नगर पालिका परिषद के समस्त नाला जो विना उपचार के सुवाव नदी में गिरते है उनके उपचार करने तथा ऐसे नालों को टैप करने के लिए एस0टी0पी0 का निर्माण, इस हेतु भूमि का चिन्हीकरण, भूमि उपलब्धता व कूड़े का निस्तारण हेतु विवादित एम0आर0एफ0 सेन्टर का निराकरण, नये एम0आर0एफ0 हेतु भूमि चिन्हीकरण, एम0आर0एफ0 निर्माण व सुवांव नदी को प्रदूषण,

अपदूषण मुक्त कर नदी का रीजूवेनिशन व फलड़ प्लेन एरिया को डिमार्केशन किये जाने आदि बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से योजना तैयार कर रिपोर्ट शासन को शीघ्र प्रेषित की जानी है।

6— यह भी अवगत कराना है कि स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिगत SWM Rules 2016 (12), (15) व (16) के अन्तर्गत कमशः जिलाधिकारी, स्थानीय निकाय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्यों व दायित्वों का विस्तृत विवरण का उल्लेख किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि व समय पर समिति के स्थलीय भ्रमण के समय समस्त विभागीय अधिकारी/विषय–विशेषज्ञ, एक्सपर्ट आदि की उपस्थिति, समुचित सुरक्षा व्यवस्था व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करते हुए स्थलीय निरीक्षण के समय समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी सुनवाई दिनांक 29.08.2024 को शासन की तरफ से कृत कार्यवाही/एक्शन टेकेन रिपोर्ट आदि कार्यवाही की विस्तृत एक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सकें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक उक्तानुसार –

भवदीय

(अनुज कुमार झा)
निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।

2–प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) लखनऊ।

3–श्री अमित कुमार सिंह, विशेष सचिव/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

4–श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5–आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

6–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7–श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0 नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8–कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 173305202408169

ग्राम क्रमांक : 173305 ग्राम का नाम (परगना) : बलरामपुर देहात(बलरामपुर) तहसील : बलरामपुर जनपद : बलरामपुर फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 02650

श्रेणी : 5-1 / कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
2371मि	1) नवीन परती//			2371मि(1733052371200151)	0.6400	1) 1/1	1) 0.6400	0.00
							0.6400	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छ: चार शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव छ: चार शून्य शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1431 फ. जरिए परवाना न्यायालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर अन्तर्गत धारा 38(2) अधि.उ.प्र.राजस्व संहिता-2006 वाद सं.T202308100106454 ता.फै.24.08.2023 रिपोर्ट लेखपाल बनाम ग्राव सभा में आदेश हुआ कि ग्राम बलरामपुर देहात पर तह व जिला बलरामपुर की खतौनी की गाटा सं. 3349/0.109 हे. जो आ. पत्र 41व 45 मे नवीन परती के खाते मे अकिंत हैं, परन्तु वर्तमान अभिलेख खतौनी व खसरा मे किसी खाते मे अकिंत नही हैं। आ0 पत्र 41 व 45 के अनुसार वर्तमान अभिलेखो मे गाटा सं. 3349/0.1090 हे. को नवीन परती के खाते मे अंकित हो/ह.र.का.25.01.2023

2) 1431 फ. जरिये न्यायालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर वाद सं.T202408100101990 अन्तर्गत धारा 67क उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम बलरामपुर देहात पर.तह.व जिला बलरामपुर सरकार बनाम श्रीमती बदरूनिशा दिनांक 19.02.2024 के अनुसार ग्राम बलरामपुर देहात खतौनी वर्ष 1427-1432 फ. की खाता सं. 02650 की गाटा सं. 2207/0.2020 हे. मे से मात्र 0.012 हे. भूमि पर श्रीमती बदरूननिषा पत्नी बब्लू निवासी बलरामपुर देहात परगना तहसील व जनपद बलरामपुर को कब्जे के आधार पर धारा 67 (क) उ. प्र. रा. सं., 2006 का लाभ प्रदान किया जाता है /ह.र.का.22.02.2024

3) 1431 फ. जरिये न्यायालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर वाद सं.T202408100101993 अन्तर्गत धारा 67क उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम बलरामपुर देहात पर.तह.व जिला बलरामपुर सरकार बनाम मो. हनीफ दिनांक 19.02.2024 के अनुसार ग्राम बलरामपुर देहात खतौनी वर्ष 1427-1432 फ. की खाता सं. 02650 की गाटा सं. 2572/0.0450 हे. मे से मात्र 92.936 वर्गमीटर भूमि पर मो.हनीफ पुत्र अहमद निवासी मो.गदुरहवा बलरामपुर देहात परगना तहसील व जनपद बलरामपुर को कब्जे के आधार पर धारा 67 (क) उ. प्र. रा. सं., 2006 का लाभ प्रदान किया जाता है /ह.र.का.22.02.2024

4) 1431 फ. जरिए परवाना न्यायालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर अन्तर्गत धारा 101 अधि.उ.प्र.राजस्व संहिता-2006 वाद सं.T202408100102957 ता.फै.27.03.2024 श्रीमती बीना सिंह बनाम उ.प्र.सरकार में आदेश हुआ कि तहसीलदार, बलरामपुर की आख्या दि. 27-02-2024 से सहमत होते हुए विनिमय वादिनी स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि खतौनी ग्राम बलरामपुर देहात उक्त वर्ष 1427-1432 फ. की खाता सं. 02126 की गाटा सं. 2319/0.5670 हे. मे से मात्र 0.020 हे. वादिनी श्रीमती बीना सिंह पत्नी नन्दू सिंह पुत्री भगेलू सिंह निवासी ग्रामवासी का नाम खारिज करके ग्राम सभा की नवीन परती की खाते मे तथा ग्राम सभा की नवीन परती की भूमि खाता सं. 02650 की गाटा सं. 2318मि./0.0730 हे. मे से मात्र 0.020 हे. भूमि ग्राम बलरामपुर देहात परगना तहसील व जनपद बलरामपुर का नाम खारिज कर वादिनी श्रीमती बीना सिंह पत्नी नन्दू सिंह पुत्री भगेलू सिंह निवासी ग्राम बलरामपुर देहात पगरना तहसील व जनपद बलरामपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर परस्पर विनिमय के आधार पर दर्ज हो/ह.र.का.10.04.2024

5) 1431 फ. जरिये न्यायालय उपजिलाधिकारी बलरामपुर वाद सं.T202408100101994 अन्तर्गत धारा 67(क) उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम बलरामपुर देहात पर.तह.व जिला बलरामपुर सरकार बनाम जलील अहमद दिनांक 19.02.2024 के अनुसार ग्राम बलरामपुर देहात परगना तहसील व जनपद बलरामपुर की खतौनी वर्श 1427-1432 फ. की खाता सं. 02650 की गाटा सं. 2572/0.0450 हे0 मे से मात्र 92.936 वर्गमीटर भूमि पर आवेदक जलील अहमद पुत्र अहमद निवासी मो.गोविन्दबाग बलरामपुर परगना तहसील व जनपद बलरामपुर को कब्जे के आधार पर धारा 67 (क) उ.प्र.रा.सं., 2006 का लाभ प्रदान किया जाता है /ह.र.का.16.04.2024

Data Digitally Signed by: ROHIT DWIVEDI (RAGISTAAR KANOONGO) **दिनाँक/समय/स्थान: 21-08-2024 03:49:37 तहसील : बलरामपुर** ℹ यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : RAMESH SINGH तहसील : बलरामपुर** **मुद्रित दिनांक एवं समय: 21-08-2024 03:49:37** ℹ Not Applicable For Online Prints ℹ उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMA... CENTRE

546

महोदय,

ग्राम बलरामपुर देहात परगना तहसील व जिला बलरामपुर में अंकित गाटा सं० 2371 कि० रकबा 0.640 हे० अभिलेख में नवीन परती के खाते में अंकित है इस गाटा सं० S.T.P निर्मित हो चुका है इसी में S.T.P के पूरब तरफ मिली हुई 15x28 मी० (0.042 हे०) भूमि खाली पड़ी हुई है इसमें बीच में 10x10 फुट टीन शेड बना हुआ है जिसमें कोई मौके आवासित नहीं पाया गया है मौके पर आस-पास के लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें वर्तमान समय में कोई निवास नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में S.T.P से मिली हुई पूरब तरफ की 15x28 मी० भूमि S.T.P के प्रयोग में लायी जा सकती है यह गाटा सं० नगर पालिका परिषद बलरामपुर की सीमा में स्थित है जिससे तहसील से किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है नगर पालिका अपने स्तर प्रस्तावित कार्य करने के लिए अधिकृत है। नगर पालिका, नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान सादर प्रेषित है।

[signature]
21-8-24

महोदय,

लेखपाल आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
R.K.
दि० 21.8.2024

547

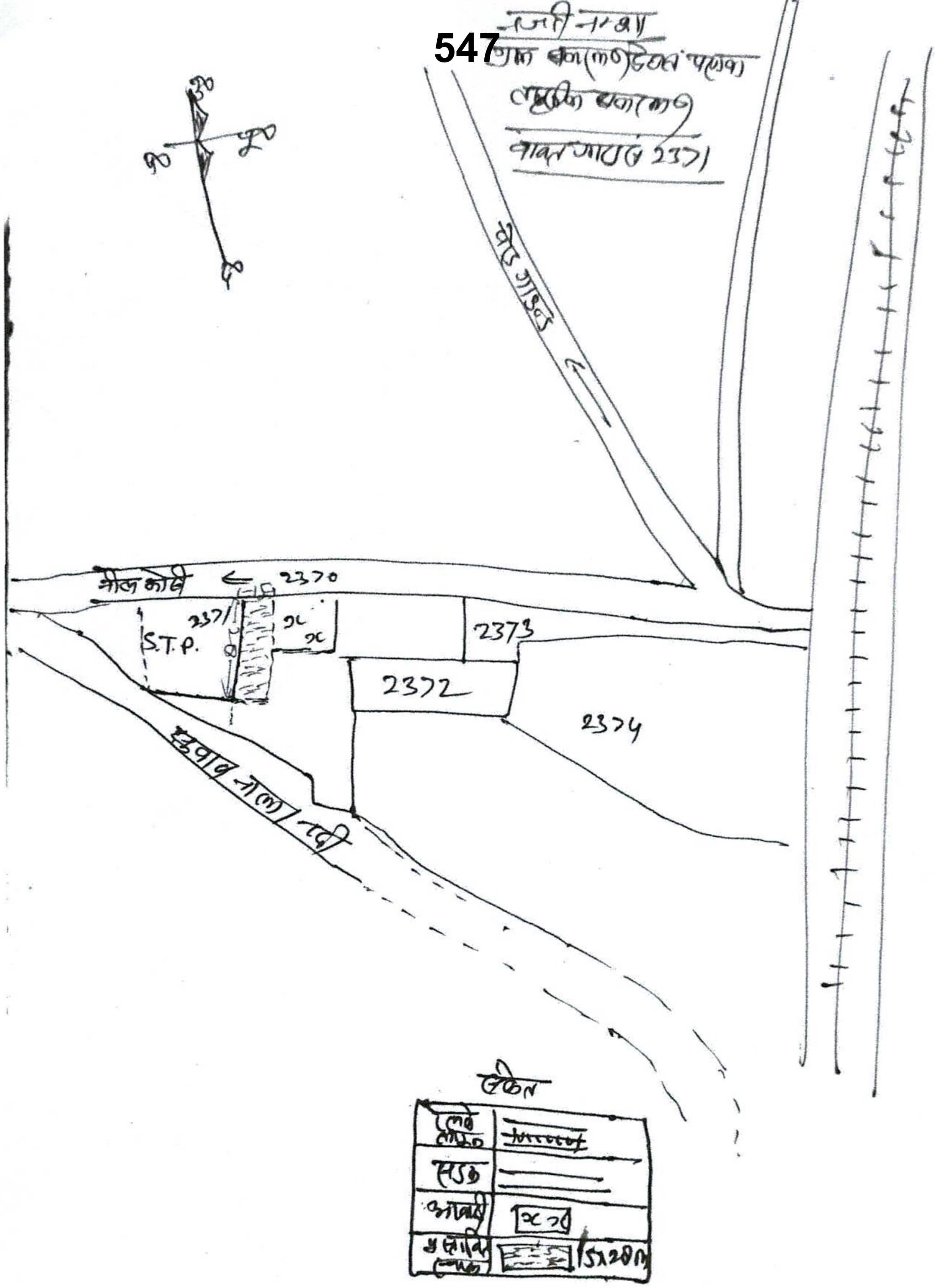

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बलरामपुर सदर।

पत्रांक: 517- /आ0लि0(सूचना)/2023–24 दिनांक:13-मार्च,2024

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बलरामपुर के पत्र संख्या 78/कार्य–114/03 दिनांक 15.01.2024 के माध्यम नगर पालिका/नगर पंचायत में 100X100 मीटर एस0टी0पी0 हेतु तथा 50X50 मीटर एफ0एस0टी0पी0 हेतु भूमि ऐसे स्थल पर जहां उचित मार्ग उपलब्ध हो, हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम मे तहसीलदार बलरामपुर से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार बलरामपुर की आख्या दिनांक 13.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र से 05 कि0मी0 परिधि तक 100X100 मीटर एस0टी0पी0 हेतु तथा 50X50 मीटर एफ0एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है।

अतः सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
(सदर)बलरामपुर।

प्रतिलिपि–

1–जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर को सादर सूचनार्थ।
2–अपर जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर को सादर सूचनार्थ।

उपजिलाधिकारी
(सदर)बलरामपुर।

549

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक : 359 / न0पा0परि0(बल) / 2024–25 दिनांक–14, अगस्त, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बस्ती।

विषय – स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी के अधिष्ठापन एवं निर्माण नगर पालिका परिषद बलरामपुर में कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर को स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठान एवं निर्माण कराये जाने हेतु राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–पी0एम0यू0 / 6627 / 427(12) / 2022 लखनऊ दिनांक–12 अक्टूबर, 2022 के क्रम में 5 टी0पी0डी0 क्षमता का मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी सेण्टर के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सेण्टर निर्माण हेतु गाटा संख्या 2446 नवीन परती (रक्बा 0.2370) वार्ड अंधियारी बाग, निबकौनी में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त गाटा संख्या 2446 नवीन परती (रक्बा 0.2370) वार्ड अंधियारी बाग निबकौनी में मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी सेण्टर अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

14.08.2024
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

15/8/24 DM

14.08.2024
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

14.8.24
LBC.